

पुलिस

मुख्यालय

उत्तर

प्रदेश

द्वारा फ़ैक्स/ईमेल

लखनऊ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स
पुलिस मुख्यालय(सिग्नेचर भवन)पंचम तल टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2लखनऊ-226010,
फ़ैक्स नम्बर-0522-2390470 फोन-0522-2390475 ईमेल- logisticoffice4@gmail.com
संख्या:लाजि0-दस-51/2017(आरक्षी सवार पुलिस भर्ती दिनांक:जुलाई 23 ,2021
सेवा में,

1. पुलिस आयुक्त,
जनपद-लखनऊ/कानपुर नगर/वाराणसी
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद-प्रयागराज/गोरखपुर/अयोध्या/बरेली/आगरा/अलीगढ़/मेरठ

विषय: आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश।

1- कृपया इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक 23.07.20.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। चिकित्सा परीक्षा व चरित्र सत्यापन की तिथि से बाद में अवगत कराया जायेगा।

2. चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा व चरित्र सत्यापन तथा नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु जनपद आवंटित कर दिया गया है जिसकी सूची इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है। कृपया पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब सम्पादित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।


पुलिस अधीक्षक, लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ जनपदों को निर्देशित करने की कृपा करें:-

- 1- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, प्रयागराज/गोरखपुर/अयोध्या/बरेली /
आगरा/अलीगढ़/मेरठ उत्तर प्रदेश,।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।

MOUNTED POLICE _DISTRICTWISE

Sno	Roll Number	Registration No. Jail Warden	Registration No. Fireman	Name	FATHER'S NAME	DOB	Normalized Score	Rank as per written exam	Selecte d As	Service Allotted	Address	City/District	State	Phone Number	Alloted district
1	1778143085	J100595798		GOVINDAR SINGH	PUSHKAR SINGH	20-09-1998	235.16916	R000137	OC	Mounted Police	VILL DHANTOLI POST DHANTOLI	ALIGARH	UP	9528048671	agra
2	1950142221	J100244329		VIKAS KUMAR SHARMA	GRISH KUMAR SHARMA	20-12-1998	209.02596	R000985	OC	Mounted Police	Village - Kityamai Post- Chilaiwati	ALIGARH	UP	7895264901	agra
3	1955131293	J100061876		AMBRESH KUMAR	RAMESHWAR SINGH	08-04-1996	199.50105	R002434	OC	Mounted Police	VILL BHINIPUR POST MANAI	ALIGARH	UP	8171845744	agra
4	1717120584	J100021340	F100083442	PAVAN KUMAR SHARMA	JAY PRAKASH SHARMA	06-07-1999	191.63046	R004760	OC	Mounted Police	182 Village- Balhera Post- Diwa Hamidpur	ALIGARH	UP	9990082453	agra
5	1922110239	J100169377	F100127534	AKASH KUMAR	PEETAM SINGH	24-04-1999	175.48461	R015525	SC	Mounted Police	VILLAGE MOSHANPUR TEHSIL ATROULI DISTRICT ALIGARH UP 202280	ALIGARH	UP	7011651868	agra
6	1722141378	J100380970	F100185748	SURAJ SINGH	BANVARI LAL	01-11-1997	172.94834	R017999	SC	Mounted Police	VILL KALINIARI POST BESWAN	ALIGARH	UP	9927170056	agra
7	1721110361	J100245875	F100181537	LAVKESH KUMAR	MANOHAR LAL	12-06-1994	166.78625	R025115	SC	Mounted Police	UMA NAGAR COLONY DORI NAGAR GALI NO 01	ALIGARH	UP	8218256859	agra
8	1511132215	J100107665		RAVI KUMAR	BRAJ KISHOR	18-11-1996	161.50105	R032757	SC	Mounted Police	GALI NO .4 Gali no.4 Budha vhar colony khair by pass	ALIGARH	UP	7017640790	agra
9	1620120946	J100025523		HARENDR KUMAR SINGH	BANI SINGH	12-06-1996	159.43589	R036063	SC	Mounted Police	VILL NAGOLA POST KASSISON TEH KHAIR	ALIGARH	UP	7055389963	agra
10	2038131645	J100554517		PIYUSH SHARMA	UMESH KUMAR	30-06-2000	99.00105	R165443	OC-DFF- L	Mounted Police	Gram Peepli Kala Nagla Jagdev	ALIGARH	UP	9411421569	agra
11	1775121010	J100084493		SAMAR BAHADUR YADAV	HARI NATH	01-01-2000	211.82027	R000760	OC	Mounted Police	01 BAHAUDUPINPUR	AZAMGARH	UP	6389616880	commis- varanashi
12	1965120607	J100141344		TUSHAR KANT	BALAK RAM	04-08-1996	159.43589	R036074	SC	Mounted Police	VPO FAKHARPUR TEH KHEKRA	BAGHPAT	UP	9760332587	aligarh

SPJ

13	2038110272	J100100022		AMIT KUMAR	JAGWAT SINGH	01-01-1985	125.85280	R104596	OC-EX-L	Mounted Police	RASOOLPUR SANKAL POOTHI AMINAGAR SARAI	BAGHPAT	UP	9675181470	aligarh
14	2032120597	J100065164		RAVINDRA KUMAR	HARKHYAL SINGH	01-03-1982	98.86646	R165459	OBC-EX-L	Mounted Police	VPO KURRI TEH BARAUT	BAGHPAT	UP	8170057294	aligarh
15	1126110017	J100048710		AMIT KUMAR VERMA	CHOTELAL VERMA	30-01-1999	196.46300	R003210	OC	Mounted Police	VILL SHAHPUR POST SHAHPUR	BALLIA	UP	9795734922	gorakhpur
16	1913131056	J100263642	F100060982	ASHUTOSH KUMAR GUPTA	MAHESH GUPTA	05-08-1999	195.00105	R003565	OC	Mounted Police	VILL ANERA POST HATHALUNI	BALLIA	UP	8808136946	gorakhpur
17	2045120708	J100287574		SHASHI KUMAR GAUTAM	GULAB RAM	08-07-1998	159.43589	R036141	SC	Mounted Police	O HADAR CHAK FEENA	BALLIA	UP	9118239796	gorakhpur
18	1633131692	J100007985		DHARAM CHANDRA GOND	HARERAM GOND	11-12-1999	131.00105	R093207	ST	Mounted Police	VILL POST BARAGAON VILL POST BARAGAON DIST BALLIA	BALLIA	UP	8009273445	gorakhpur
19	1439110595	J100021950		SUDHIR KUMAR PANDEY	SANKATHA PRASAD PANDEY	30-07-1996	216.92973	R000469	OC	Mounted Police	Village post kanwa District-Barabanki	BARABANKI	UP	9198770694	commis. kanpur
20	1113121157	J100419752		PUSHPENDRA KUMAR	RAMDHUN LAL	15-07-1999	185.08241	R007961	OBC	Mounted Police	Village kandharpur post umersiya thana cantt Bareilly Village kandharpur post umersiya thana cantt Bareilly	BAREILLY	UP	9756808491	commis. lucknow
21	1773143425	J100181098		PRAMOD KUMAR MAURYA	LALU PRASAD	15-12-1999	194.38576	R003792	OC	Mounted Police	BIHARA SEMRAHIYA MAHARJANU	BASTI	UP	7570834775	commis. lucknow
22	1940142712	J100077019		VIKASH KUMAR RAI	GOPAL JEE RAI	12-07-1996	216.86892	R000475	OC	Mounted Police	38 VILLAGE AND POST - BAHORANPUR	Bhojpur	Outsid e UP	8840701922	barailly
23	1627131356	J100114385		DEESHANT RAJPUT	MUNESH KUMAR	05-01-1999	206.00105	R001347	OC	Mounted Police	VILL KHILARPUR JAGGU POST NAGINA TEH NAGINA	BUNORE	UP	8909888387	barailly
24	1940142163	J100385909		SAGAR SINGH	DHOOM SINGH	13-09-1996	191.24858	R004880	OC	Mounted Police	VILL TANGROLA POST RATANGARH TEH CHANDPUR	BUNORE	UP	9568688379	barailly

SPH

25	1621142184	J100475128		SURAJ SINGH	JAIPAL SINGH	18-04-1997	191.24858	R004884	OC	Mounted Police	Vill Jawalchand Post mauzampur narayan	BIJNORE	UP	9068421535	barailly
26	1960130773	J100404486		SHUBHAM KUMAR	RAVINDRA SINGH	10-12-1998	184.00105	R008651	OBC	Mounted Police	VILL BAIRNABAD GARHI POST NEHTAUR	BIJNORE	UP	8193802932	barailly
27	2054131578	J100243237		HIMANSHU KUMAR	JYOTI SINGH	11-04-2000	159.50105	R035807	SC	Mounted Police	VILL KHAURI POST AHEERPURA	BIJNORE	UP	7817862225	barailly
28	1717110215	J100177501	F100069524	KULDEEP	BIJENDRA	06-03-1995	231.25644	R000161	OC	Mounted Police	VILL POST GHUNGHRAWALI THANA NARSENA	ULANDSHAHA	UP	9897656971	meeruth
29	1414130716	J100066835		DAL CHANDRA	CHETRAM SINGH	10-03-1995	206.00105	R001342	OC	Mounted Police	134 Mahadev Ramilla road	ULANDSHAHA	UP	9758658788	meerth
30	1725110095	J100171631	F100067052	MANISH KAPIL	RAJU SHARMA	05-03-1997	194.92800	R003586	OC	Mounted Police	VILL BARAL POST BARAL	ULANDSHAHA	UP	9411232801	meeruth
31	1754110067	J100225511		MOHIT KUMAR	SAMARPAL SINGH	01-01-2000	185.20630	R007951	OBC	Mounted Police	TAIVABPUR SHIKARPUR	ULANDSHAHA	UP	8394972002	meeruth
32	1747131504	J100085023		GAURAV UPADHYAY	BABURAM UPADHYAY	06-02-1994	191.00105	R004987	OBC	Mounted Police	house.no.12e railway colony railwala	Dehradun	Outsid e UP	8077161456	meeruth
33	1213141402	J100531877		RAHUL YADAV	RAM BAHAL YADAV	19-11-1999	193.86290	R003958	OC	Mounted Police	VILL KHIRIVA POST KHADESAR	DEORIA	UP	9621954851	commis. varanashi
34	1758131006	J100369126		SATYAM SINGH	VEDBAHU SINGH	10-01-1998	68.50105	R225213	OBC- DFF-L	Mounted Police	25 BHALLUANI	DEORIA	UP	6391868569	commis. varanashi
35	1971120576	J100083656		BRIJAKISHOR SHARMA	RAMPPOOJAN SHARMA	11-07-1997	194.35881	R003793	OC	Mounted Police	VPO- EKTA TEH BASERI	Dholpur	Outsid e UP	7974673186	agra
36	1770143438	J100095588		GAJENDRA SINGH	PREM SINGH	20-12-1997	214.25460	R000603	OC	Mounted Police	VILL NAGIA PARS POST MAREHRA	ETAH	UP	9897475565	aligarh
37	1615131132	J100294965		BRAJMOHAN	NAGENDRA SINGH	15-09-1997	184.00105	R008637	OBC	Mounted Police	VILLAGE KHANGARPUR POST SARNOW	ETAH	UP	9760844825	aligarh
38	2018142116	J100403649		SOMESH KUMAR	BHANWAR SINGH	31-03-1984	149.94232	R052779	OC-EX-L	Mounted Police	24 Vill Nagwai Po Berni	ETAH	UP	9877579034	aligarh
39	1629141546	J100179038		AMAN SINGH	MAHESH CHAND	23-01-2000	187.58853	R006652	SC	Mounted Police	VILL NABABPUR POST- SANTOSH-PUR GHAT	ETAHWAH	UP	8057353430	commis. kanpur
40	1971120874	J100473076		AKASH YADAV	RAKESH YADAV	03-03-1999	218.91399	R000405	OC	Mounted Police	house no 473 sanjay enclave	Faridabad	Outsid e UP	8810613159	agra

SPJ

41	1915131807	J100349925	F100137802	ATUL PRATAP SINGH	RAMESH SINGH	03-04-1998	201.00105	R002153	OC	Mounted Police	Vill - Jahanpur Post - Silsanda Teh - Kaimganj	FARRUKHABAD	UP	8920828082	commis kanpur
42	1128141914	J100412967		SANGAM AHIRWAR	ATAR SINGH AHIRWAR	08-07-1999	159.35387	R036361	SC	Mounted Police	1/10 GWALTOLI TILVA FATEHGARH	FARRUKHABAD	UP	872674546	commis kanpur
43	1937120383	J100271804		VIKAS PAL	SURESH CHANDRA PAL	21-08-1999	194.35881	R003825	OC	Mounted Police	HOUSE NO 92 VILL KALANA POST KORA JAHANABAD	FATEHPUR	UP	7905829056	prayagraj
44	1939131179	J100308656		VAIBHAV YADAV	JOGENDRA SINGH YADAV	06-06-2000	203.00105	R001817	OC	Mounted Police	Vill Gurha Post Gurha	FIROZABAD	UP	7302997784	aligarh
45	1129131812	J100185425		DUSHYANT	AMRAT SINGH	10-02-2000	192.00105	R004602	OC	Mounted Police	FIROZABAD FIROZABAD	FIROZABAD	UP	6396732203	aligarh
46	1663131036	J100549056		ANOJ KUMAR	RAKESH BABU	20-07-1998	190.50105	R005262	OBC	Mounted Police	VILL Nagla Chanda Post Nasirpur	FIROZABAD	UP	8192846730	aligarh
47	1614120724	J100169813		DHARMPAL SINGH	MAHESH CHANDRA	01-07-1995	189.99345	R005500	OBC	Mounted Police	village nagala khanderi post ukharend	FIROZABAD	UP	7417750113	aligarh
48	1122131274	J100428615		RAMA KANT	PRATAP SINGH	16-02-1998	172.50105	R018407	SC	Mounted Police	Vill - AMARI POST RAILWAY STATION SHIKOHABAD	FIROZABAD	UP	9027451902	aligarh
49	1941110271	J100187461		VIPIN KUMAR	HARI SHANKAR	06-07-1991	159.11123	R036399	SC	Mounted Police	VILLAGE NAGAU POST HIRANGAON	FIROZABAD	UP	9675049483	aligarh
50	1940121315	J100309214		VILAY SINGH	BHOORI SINGH	26-05-1983	109.77987	R141275	OC-EX-L	Mounted Police	AHATA SHOBA RAM LINE PAR TUNDLA	FIROZABAD	UP	7024719368	aligarh
51	1641141646	J100405448		SHIVAM SINGH	NARESH PAL SINGH	01-08-1998	216.86892	R000478	OC	Mounted Police	Vpo Chipiyana buzurg	tambuddhan	UP	8287838219	meeruth
52	1655120752	J100351563		ABHISHEK BIDHURI	RAMINIWAS BIDHURI	10-10-1999	213.45728	R000655	OC	Mounted Police	H.no. 24 Pink city colony	tambuddhan	UP	8920491142	meeruth
53	1433141635	J100034108		MAVANK SHARMA	RAMKISHORE SHARMA	05-10-1994	200.13727	R002282	OC	Mounted Police	D 61 kashiram Colony Sector 45	tambuddhan	UP	9560330997	meeruth
54	1645130863	J100031206		SHAGUN CHOUDHARY	RAVINDER KUMAR	08-12-1998	184.00105	R008650	OBC	Mounted Police	68 KOT GAON ARYA NAGAR	GHAZIABAD	UP	9818097548	aligarh
55	1776142326	J100088398		TUSHAR KUMAR	ANIL KUMAR	01-04-1999	159.35387	R036346	SC	Mounted Police	B 11 krishna nagar meerut road B 11 krishna nagar meerut road	GHAZIABAD	UP	9910350665	aligarh

SPF

56	1422120665	J100437792		HEMANT GUPTA	CHANDRAHAS GUPTA	01-02-2000	186.17375	R007386	OBC	Mounted Police	33 AB TRILOKPUR UTTARALI	GHAZIPUR	UP	9456653300	gorakhpapur
57	2059141023	J100452299		ISHNARAYAN YADAV	RAMLAKSHAN YADAV	06-07-1995	185.49707	R007816	OBC	Mounted Police	VILL MANIHA POST RAMPUR MANIHA	GHAZIPUR	UP	8115952332	gorakhpapur
58	1723120515	J100505587	F100217428	PRAMOD KUMAR PRAJAPATI	BALLIRAM PRAJAPATI	12-05-1990	111.41688	R137574	OC-HG-L	Mounted Police	VILL RAMDUPUR POST RUHIPUR	GHAZIPUR	UP	9616603837	gorakhpapur
59	2022141752	J100244059		PRABHAKAR SINGH	KAMAL KISHOR SINGH	15-07-1997	200.66013	R002190	OC	Mounted Police	subhash nagar colony surajkund	GORAKHPUR	UP	9044463266	commis. varanashi
60	1511121005	J100240292		MITHILESH YADAV	CHHOTELAL YADAV	21-03-1998	192.72180	R004341	OC	Mounted Police	VILL DEVIPUR TOLA DURGAPUR POST BALAPAR DIST GORAKHPUR	GORAKHPUR	UP	6307910449	commis. varanashi
61	1716132152	J100375629	F100011099	ROHIT KUMAR	ISHWAR SINGH	25-05-1998	184.00105	R008640	OBC	Mounted Police	530 alamanagar tehsil garhmukteshwar	HAPUR	UP	9720162973	aligarh
62	1733141684	J100139707	F100021333	VIKAS	LAL SINGH	26-07-1998	172.94834	R018020	SC	Mounted Police	VILLAGE AND POST GALAND TEHSIL DHAULANA	HAPUR	UP	7037983839	aligarh
63	1421141697	J100247197		MOHIT RAMA	RAMVEER SINGH RAMA	01-07-1993	188.63426	R006050	OBC	Mounted Police	VILLAGE NAGLA GAUVA POST HATISA	HATRAS	UP	8851004876	commis. kanpur
64	2020141394	J100201849		ANJU KUMAR	YOGESH CHOUDHARI	01-06-1996	188.63426	R006067	OBC	Mounted Police	VILLAGE KHERIYA POST JALESAR ROAD	HATRAS	UP	9634970300	commis. kanpur
65	1950110291	J100431580	F100080771	DHANESH KUMAR YADAV	NANHA KU RAM	06-06-1990	116.64277	R125437	OC-HG-L	Mounted Police	VILL AGAHUA POST KISHUNDASPUR	JAUNPUR	UP	8726414112	commis. lucknow
66	1916143395	J100013398	F100032565	GOKUL MOHAN GOPAL	PREMCHANDRA	05-07-1996	222.62042	R000295	OC	Mounted Police	JNV BARUJASGAR BARUA SAGAR	JHANSHI	UP	7652002372	commis. kanpur
67	2030121145	J100267954		DEEPAK PATEL	RAJ KUMAR PATEL	09-08-1996	188.90211	R005947	OBC	Mounted Police	VILL POST BAMORE TEH GARAJUTHA	JHANSHI	UP	9936980226	commis. kanpur
68	1968120679	J100167544		PARAS TYAGI	SATENDRA KUMAR	21-07-1997	214.00295	R000614	OC	Mounted Police	vill and post baseera taga dist amroha	JPNAGAR	UP	9756800281	agra
69	1638110149	J100109090		SHOBHIT CHAUDHARY	NIRANKAR SINGH	05-10-1993	199.53301	R002409	OC	Mounted Police	VILL- PATTI SADAT POST- CHANDNAGAR	JPNAGAR	UP	9634444617	agra

SPF

70	1740141172	J100353212	F100135750	VISHNU SAVITA	ASHOK SAVITA	15-06-1992	195.43149	R003479	OC	Mounted Police	P BLOCK 294 YASHODA NAGAR	KANPUR	UP	8188815830	commis. lucknow
71	1927121711	J100017005	F100008287	ANURAG KUMAR	BALRAM SINGH	25-07-1998	189.99345	R005520	OBC	Mounted Police	VILLAGE BARANDA POST BARANDA DISTRICT KANPUR NAGAR	KANPUR	UP	8935048102	commis. lucknow
72	1119131199	J100141315		DURGESH YADAV	SHYAMBADAN YADAV	07-03-1999	190.00105	R005471	OBC	Mounted Police	EKLAVYANAGAR KAPTANGANU KUSHINAGAR EKLAVYANAGAR KAPTANGANU KUSHINAGAR	KUSHINAGAR	UP	9198829114	ayodhya
73	1944110122	J100460961		RAHUL SINGH	CHANDRA SINGH	15-04-1995	160.13456	R034723	ST	Mounted Police	VILL POST BELAPARSUA TEHSEEL NIGHASAN DISTRICT LAKHIMPUR KHERI	LAKHIMPUR	UP	9455764049	commis. lucknow
74	1644131242	J100198106		HARIKESH SHARMA	RAMDAS SHARMA	02-12-1997	193.00105	R004171	OC	Mounted Police	10 Village and post - SONARA	MAHARAJGAN	UP	9889236889	ayodhya
75	2062120818	J100428694		SATENDRA GUPTA	HIRA SHANKAR GUPTA	20-03-1995	185.62808	R007653	OBC	Mounted Police	VILL BHUWANI POST BIRACHA	MAHARAJGAN	UP	8707803953	ayodhya
76	1734142830	J100319727	F100208120	VIKAS SINGH	SAHAB SINGH	09-08-1997	194.90863	R003623	OC	Mounted Police	RADOL BURJ POST SARAY DAUD	MATHURA	UP	9761649709	meeruth
77	1940142535	J100473019		UMESH KUMAR	HAMBHIR SINGH	01-07-1999	192.29431	R004512	OC	Mounted Police	vill ghasiyagarhi post kolahar teshel mant	MATHURA	UP	8979485344	meeruth
78	1767143737	J100176288		JITENDRA	SHIRIRAM	25-12-1996	101.31597	R160217	OC-HG- L	Mounted Police	VILLAGE RASULPUR POST MAGORA	MATHURA	UP	7060386705	meeruth
79	1947110361	J100413371		CHANDRASEN YADAV	UMANAND YADAV	08-07-1998	185.71797	R007603	OBC	Mounted Police	VILLAGE ITAURA CHAUBEPUR POST ITAURA CHAUBEPUR	MAU	UP	7398316595	commis. varanashi
80	2052131454	J100175927		TARUN SANGWAN	MANSBIR SINGH	20-02-1995	207.50105	R001136	OC	Mounted Police	159 VILLAGE- BAFAR POST-JANI KHURD	MEERUT	UP	9675757618	barailly

Spd

81	1730131481	J100599188	F100175701	SANJU KUMAR	NANAK CHAND	12-09-1998	194.50105	R003704	OC	Mounted Police	SHIVPURAM MOHKAMPUR DELHI ROAD MEERUT	MEERUT	UP	8650589157	baraily
82	1657110439	J100381311		SAURABH NEHRA	HARENDRA SINGH	16-07-1998	184.18297	R008573	OBC	Mounted Police	Vill- Kayesth Ganwri Post- Mohuddimpur	MEERUT	UP	7055363861	baraily
83	1425130863	J100502945		MOHAMMAD NAZIR	Mohammad YASEEN	01-02-1997	184.00105	R008625	OBC	Mounted Police	182 MILAK BERKHERA CHAK	MORADABAD	UP	9012463894	baraily
84	2051141609	J100579189		ANKIT KUMAR	CHANDER BHAN SINGH	24-08-1998	173.47120	R017481	SC	Mounted Police	VILL MOHABBATPUR BHAGWANTPUR POST AGHWANPUR	MORADABAD	UP	7500136322	baraily
85	2037131523	J100208317		RAVINDRA KUMAR	JAGDEESH SINGH	15-06-1999	159.50105	R035954	SC	Mounted Police	VILL MOHAMMADPUR BASTOUR POST NOORPUR	MORADABAD	UP	9368531629	baraily
86	1133141866	J100093577		KAUSHAL KUMAR	DEENA NATH	15-07-1995	188.11139	R006306	OBC	Mounted Police	VILL KABOOLPUR POST MUDIYA HULAS	PILIBHIT	UP	8650966231	commis. lucknow
87	1663141419	J100217205		ARIJUN KUMAR	KHIVALI RAM	12-08-1999	168.24256	R023365	SC	Mounted Police	Vill and post - gora puranpur pilbhit gora	PILIBHIT	UP	9535749075	commis. lucknow
88	2018142040	J100547549		RAJESH KUMAR YADAV	RAM SURAT YADAV	15-05-1999	246.14930	R000088	OC	Mounted Police	SARAI JADO ATRAMPUR	Prayagraj	UP	8953931208	commis. kanpur
89	1712110253	J100182999	F100071446	ASHOK KUMAR YADAV	RAM LAKHAN YADAV	12-07-1993	185.71797	R007548	OBC	Mounted Police	VILL GHATAMPUR POST ATRAMPUR	Prayagraj	UP	8808979565	commis. kanpur
90	1212120817	J100548282		ABHAY PRATAP YADAV	RAM SANEHI YADAV	11-05-1999	189.99345	R005525	OBC	Mounted Police	Afsari Maharaniganj Khargapur Laliganj Raebarelli Afsari Maharaniganj Khargapur Laliganj Raebarelli	RAIBARELI	UP	9616360918	prayagraj
91	1648110198	J100554201		AJAY SINGH	BABBU SINGH	15-01-1999	191.85799	R004633	OC	Mounted Police	VILL AND POST- LAMBAKHERA TEH-TANDA	RAMPUR	UP	8938973719	meeruth

sp

92	1131131224	J100165725		SIDDHANT GOSWAMI	PRAMOD GOSWAMI	11-03-1998	184.00105	R008638	OBC	Mounted Police	H NO 386 AMBA VIHAR COLONY MALHIPUR ROAD	SAHARANPUR	UP	7503898731	commis. lucknow
93	1743130973	J100426494	F100181601	SHUBHAM KUMAR	RAJESH KUMAR	12-05-1998	166.50105	R025702	SC	Mounted Police	VILL SONARUNPUR POST SONARUNPUR	SAHARANPUR	UP	7906816534	commis. lucknow
94	1630141545	J100547138		MUNESH KUMAR	BHAGWANDAS	15-01-1997	191.24858	R004883	OC	Mounted Police	VILL DEEPPUR DANDA POST GAWAN TEH GUNNAUR	SAMBHAL	UP	8394953083	meeruth
95	1634120827	J100464143		AVINASH	JAGADISH	01-12-1997	159.43589	R036121	SC	Mounted Police	VILLAGE BHAKTA POST HARIHARPUR	NTKABIRNAG	UP	8009656946	ayodhaya
96	1915132193	J100379131	F100149376	AVINASH KUMAR	HARENDRA SINGH	20-08-1997	184.00105	R008636	OBC	Mounted Police	VILLAGE SIMBHALKA POST SHAMLI	SHAMLI	UP	9557899988	meeruth
97	1416141289	J100273587		NAVNEET KUMAR	PARASHU RAM VERMA	13-01-1994	166.15111	R025921	SC	Mounted Police	vill bersua post chandpur thana machharehata	SITAPUR	UP	9580875231	commisn. kanpur
98	1132110063	J100055420		MRITUNJAY LOHIYA	RAM MANOHAR LOHIYA	08-07-1996	191.34632	R004831	OC	Mounted Police	s/o Ram Manohar h no. 162 majorganj kotwaili nagar	SULTANPUR	UP	9838424216	commis. lucknow
99	1973141886	J100400369		JITENDRA MISHRA	HARISH CHANDRA	24-05-1999	197.52295	R002870	OC	Mounted Police	WARD NO 6 KUMHERI COLONY TIKAMGARH	Tikamgarh	Outsid e UP	9713243240	commis. Kanpur
100	1965120529	J100469244		SHUBHAM KUMAR	JAGESHWAR	06-07-1998	159.43589	R036140	SC	Mounted Police	VILLAGE AMARPUR AON POST AMARPUR AON	UNNAO	UP	8562920904	prayagraj
101	1914110140	J100433795	F100171331	ABHISHEK GAURAV	RAJENDRA KUMAR VERMA	18-06-1994	192.88132	R004221	OC	Mounted Police	VILLAGE KUMHARPURA POST PHULWARIVA	VARANASI	UP	7275833213	prayagraj
102	1927132727	J100203149	F100042648	DEEPAK YADAV	SUDAMA YADAV	04-07-1997	184.00105	R008631	OBC	Mounted Police	VILL- PACHAROWN POST - PACHRAWN	VARANASI	UP	8601769595	prayagraj

SPJ

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में पुलिस घुड़सवार पुलिस के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा हेतु निर्देश

1- आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-808/छ:-पु0-2-2016-1100(20)/2015 दिनांक: 16.03.2016 द्वारा प्रख्यापित **उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2016** में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था निम्नवत् है:-

नियम-15(6) चिकित्सा परीक्षा

- (क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम चयन सूची में हों, से नियुक्ति प्राधिकारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।
- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किये जाने के लिए, तीन(3) चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभागध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोड कृत **“पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र”** के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।
- (ग) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के पश्चात् किसी दिनांक को दाखिल की जाती है।
- (घ) अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ होगा।
- (ङ) आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में दाखिल अपील पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।
- (च) चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिए विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक स्वास्थ्य द्वारा जारी किये जायेगे। परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जायेंगे, दण्डित कार्यवाही के भागी होंगे।
- (छ) चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जायेंगे और ऐसी रिक्तियाँ अगले चयन के लिए अग्रणीत की जायेगी।

2-अभ्यर्थियों के आँख की दृष्टि के सम्बन्ध में विगत आरक्षी भर्ती के दौरान कतिपय जनपदों में उत्पन्न हुयी कठिनाईयों के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्रांक -डीजी-चार-120(10)2013-पार्ट-2 दिनांक 04.04.2015 द्वारा दृष्टि की तीक्ष्णता के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किया गया था:-

1. दूर दृष्टि दोनों आँखों में 6/9 अथवा एक आँख में 6/12 हो दूसरी आँख में 6/6 ।
2. निकट दृष्टि दोनों आँखों में कमशः 0.6 व 0.8 ।

अतः उपरोक्त निर्देश के अनुसार ही चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों का दृष्टि परीक्षण कराया जाये।

आवश्यक दिशा-निर्देश

- आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद की पुलिस लाइन्स में प्रारम्भ होगी। चिकित्सा परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के सम्बन्ध में अलग से अवगत कराया जायेगा।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी नियत तिथि को **प्रातः 09:00 बजे** आवंटित जनपद मुख्यालय की पुलिस लाइन्स में पहुँचेंगे।
- जनपदीय नोडल अधिकारी पुलिस लाइन्स में **प्रातः 09:00 बजे** से पूर्व उपस्थित रहेंगे। पुलिस लाइन में अभ्यर्थियों के बैठने, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- पुलिस लाइन्स गेट पर बैनर लगाया जायेगा तथा किसी उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की ड्यूटी गेट पर लगायी जायेगी, ताकि अभ्यर्थियों को असुविधा एवं अव्यवस्था न हो।
- पुलिस लाइन्स में अभ्यर्थियों के उपस्थित होने पर सूची में उसके नाम को चिह्नित किया जायेगा तथा चिकित्सा परिषद के समक्ष परीक्षण हेतु उपस्थित कराया जायेगा।
- चिकित्सीय परीक्षा स्थल पर जनपदीय नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा वहाँ पर समुचित पुलिस बल की भी व्यवस्था की जायेगी।
- चिकित्सीय परीक्षा स्थल पर केवल उन्ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनके पास उस दिन परीक्षा हेतु सम्बन्धित जनपद द्वारा निर्गत वैध बुलावा पत्र उपलब्ध रहेगा।
- चिकित्सा परीक्षा हेतु आये अभ्यर्थियों की पहचान उनके मूल आवेदन पत्र में लगी फोटो से जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थीगण से अपेक्षा की जायेगी कि वे चिकित्सा परीक्षा के समय अपने साथ कम से कम 10 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेकर जायेंगे।
- चिकित्सीय परीक्षा स्थल पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में तैयार रजिस्टर पर दर्ज करायी जायेगी। रजिस्टर का प्रारूप परिशिष्ट-“क” संलग्न है।
- चिकित्सा बोर्ड/मण्डलीय चिकित्सा परिषद हेतु निर्धारित प्रारूप नोडल अधिकारी द्वारा चिकित्सा बोर्ड/मण्डलीय चिकित्सा परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रारूप परिशिष्ट-“ख” संलग्न है।

- प्रत्येक दिवस अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के उपरान्त सामूहिक चिकित्सीय परिणाम की घोषणा नोटिस बोर्ड पर नामवार व अन्य अपेक्षित विवरण सहित चस्पा करते हुए तथा जन उद्घोषणा (पीए सिस्टम) के माध्यम से की जायेगी। साथ ही असंतुष्ट अभ्यर्थियों को अपीलीय अधिकार एवं विहित प्रक्रिया के बावत् अवगत कराया जायेगा।
- चिकित्सीय परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थियों द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के दिन ही निर्धारित प्रारूप में अपील, परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जो जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को उसी दिन सुरक्षित विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त करायी जायेगी। इसके बाद अपील स्वीकार नहीं की जायेगी। निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-“ग” एवं “घ” संलग्न है।
- परिशिष्ट-“घ” जो अभ्यर्थी को उसके द्वारा किये गये अपील के सन्दर्भ में जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई लिखित सूचना की प्राप्ति का अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र है, को चरित्र सत्यापन आदि सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली में अभिन्न रूप से सुरक्षित रखा जायेगा।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप-“ग” में अपील जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जनपदीय नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्राप्त अपीलों को संकलित करेंगे तथा उसी दिन परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को सुरक्षित विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त करायेगें। मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को उपस्थित होने की तिथि व समय से सूचित भी करेंगे। चिकित्सीय परीक्षण की तिथि के उपरान्त किसी भी अभ्यर्थी द्वारा की गयी आपत्ति/अपील को स्वीकार नहीं किया जायेगा। मण्डलीय चिकित्सा परिषद के सम्बन्ध में भी नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी।
- चिकित्सा परीक्षा स्थल पर चिकित्सा परिषद के सदस्यों, उनके चिन्हित सहयोगियों एवं ड्रियूटीरत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अभ्यर्थियों के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। इसे सुनिश्चित करना नोडल अधिकारी का दायित्व होगा।
- जनपद प्रभारी अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सा परीक्षा स्थल के आस-पास किसी प्रकार के अवांछनीय तत्वों यथा-मेडिकल बोर्ड को प्रभावित करने वाले, येन-केन प्रकारेण चिकित्सा परिषद की निर्धारित प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले, अभ्यर्थियों के अभिभावक आदि के प्रतीक्षारत रहने वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाय, जिससे कोई प्रतिकूल दृष्टान्त प्रकाश में न आने पाये।
- प्रतिदिन की कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप-“छ(पार्ट- I एवं II)” में लाजिस्टिक्स कार्यालय को ई-मेल-logisticooffice4@gmail.com फैंक्स-0522-2724030 के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। यह दायित्व सम्बन्धित नोडल अधिकारी का होगा।

पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा फ़ैक्स/ईमेल
लखनऊ।
कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स
पुलिस मुख्यालय(सिग्नेचर भवन)पंचम तल टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2लखनऊ-226010,
फ़ैक्स नम्बर-0522-2390470 फ़ोन-0522-2390475 ईमेल- logisticoffice4@gmail.com
संख्या:लाजि0-दस-51/2017(आरक्षी सवार पुलिस भर्ती) दिनांक:जुलाई 23, 2021
सेवा में,

1. पुलिस आयुक्त,
जनपद-लखनऊ/कानपुर नगर/वाराणसी
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद-प्रयागराज/गोरखपुर/अयोध्या/बरेली/आगरा/अलीगढ़/मेरठ

विषय: आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश।

- 1- कृपया अवगत कराना है कि **आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018** में चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन कार्यवाही किये जाने की तिथि से बाद में अवगत कराया जायेगा।
- 2- अभ्यर्थियों को उनकी चिकित्सा परीक्षा कराने हेतु आवंटित जनपद की पुलिस लाइन्स में नियत तिथि पर **प्रातः 09:00 बजे** उपस्थित होने सम्बन्धी बुलावा पत्र सम्बन्धित वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा इसकी सूचना अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स उ0प्र0 लखनऊ को ई-मेल-logisticoffice4@gmail.com फ़ैक्स- 0522 - 2724030 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा पुलिस लाइन्स में सम्पन्न करायी जायेगी। गठित चिकित्सा परिषद के समक्ष परीक्षा हेतु उपस्थित कराया जायेगा।
- 4- चिकित्सीय परीक्षा स्थल पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनके पास उस दिन चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत बुलावा-पत्र उपलब्ध रहेगा। सम्बन्धित पुलिस लाइन्स में चिकित्सा परीक्षा हेतु आये अभ्यर्थियों की पहचान जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा उनके आवेदन-पत्र में लगी फोटो से की जायेगी तथा अभ्यर्थियों की उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में तैयार रजिस्टर पर दर्ज करायी जायेगी। रजिस्टर का प्रारूप **परिशिष्ट-“क”** संलग्न है।
- 5- आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-808(1)/छ:-पु0-2-2016-1100(20)/2015 दिनांक: 16.03.2016 द्वारा प्रख्यापित **उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2016** में निहित व्यवस्था के अर्न्तगत चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था निम्नवत् है:-

नियम-15(6) चिकित्सा परीक्षा:-

- (क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम चयन सूची में हों, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।

- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किये जाने के लिए, तीन(3) चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभागध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोड कृत **“पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र”** के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।
- (ग) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनोंक के पश्चात् किसी दिनोंक को दाखिल की जाती है।
- (घ) अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ होगा।
- (ङ) आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में दाखिल अपील पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।
- (च) चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिए विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेगे। परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जायेगें, दण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।
- (छ) चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जायेंगे और ऐसी रिक्तियों अगले चयन के लिए अग्रेनीत की जायेगी।

6— अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा हेतु जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जिला चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जायेगा। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा संलग्न **परिशिष्ट—“ख”** के अनुसार कराया जाना अपेक्षित है।

7— अभ्यर्थियों के आँख की दृष्टि के सम्बन्ध में विगत आरक्षी भर्ती के दौरान कतिपय जनपदों में उत्पन्न हुयी कठिनाईयों के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—डीजी—चार—120(10)2013—पार्ट—2 दिनोंक 04.04.2015(**संलग्नक—परिशिष्ट—“छ”**)

द्वारा दृष्टि की तीक्ष्णता के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किया गया था:—

- 1—दूर दृष्टि दोनों आँखों में 6/9 अथवा एक आँख में 6/12 हो दूसरी आँख में 6/6
2— निकट दृष्टि दोनों आँखों में कमशः 0.6 व 0.8

अतः उपरोक्त निर्देश के अनुसार ही चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों का दृष्टि परीक्षण कराया जायेगा।

8— चिकित्सीय परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद उन्हें उसी दिन परिणाम से अवगत करा दिया जायेगा तथा चिकित्सा परिणाम सूचना—पट पर चस्पा करा दिया जायेगा।

9— जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित एवं अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में भी सूचना तैयार की जायेगी।

10- नियम-15(6) चिकित्सा परीक्षा (ग) के अनुसार कोई कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनोंक के पश्चात् किसी दिनोंक को दाखिल की जाती है। अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ होगा। आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में दाखिल अपील पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप-“ग” में अपील जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जनपदीय नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्राप्त अपीलों को संकलित करेंगे तथा उसी दिन परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को सुरक्षित विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त करायेगें। मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को उपस्थित होने की तिथि व समय से सूचित भी करेंगे। चिकित्सीय परीक्षण की तिथि के उपरान्त किसी भी अभ्यर्थी द्वारा की गयी आपत्ति/अपील को स्वीकार नहीं किया जायेगा। मण्डलीय चिकित्सा परिषद के सम्बन्ध में भी नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी।

11- अभ्यर्थी द्वारा की गयी आपत्ति/अपील के सन्दर्भ में मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप-“च” में चिकित्सा परिषद की आख्या परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा सम्बन्धित जनपद के नोडल अधिकारी को चिकित्सा परिषद की आख्या मूलरूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

12- नोडल अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को उसके द्वारा किये गये अपील के सन्दर्भ में जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई लिखित सूचना तथा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी मण्डलीय चिकित्सा परिषद की आख्या अभ्यर्थी की मूल पत्रावली में अभिन्न रूप से सुरक्षित रखा जायेगा।

13- चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट को सम्बन्धित अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र के साथ पत्रावली पर रखा जायेगा।

14- चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा हेतु जनपद/परिक्षेत्रीय स्तर पर नोडल राजपत्रित अधिकारी नामित कर नियत समयावधि में चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराई जाय एवं इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी परिक्षेत्रवार सूचना संकलित कर प्रारूप-“छ(पार्ट- I एवं II)” में लाजिस्टिक्स कार्यालय को प्रतिदिन ई-मेल/फैक्स के माध्यम से सूचना प्रेषित करेंगे।

15- कृपया उपरोक्तानुसार चिकित्सा परीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।


पुलिस अधीक्षक, लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ जनपदों को निर्देशित करने की कृपा करें:-

- 1- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, प्रयागराज/गोरखपुर/अयोध्या/बरेली /
आगरा/अलीगढ़/मेरठ उत्तर प्रदेश,।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर सचिव, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।

उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप

(आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018)

- 1- भर्ती बोर्ड का कमॉक.....
2- अनुकमॉक-.....
3-अभ्यर्थी का नाम.....
4- पिता का नाम.....

अभ्यर्थी का फोटो
चस्पाकियाजायेगा,
जिसेनोडलअधिकारी
द्वारा मिलान के
उपरान्त प्रमाणित
किया जायेगा।

5-स्थायी पता(गाँव/मकान नम्बर व मोहल्ला, थाना, विकास खण्ड, तहसील, जिला और पिन कोड)

.....
.....
.....
.....
.....जनपद पिन कोड ..
.....

6-पत्र व्यवहार का पता(गाँव/मकान नम्बर व मोहल्ला,थाना,विकास खण्ड,तहसील,जिला और पिन कोड)

.....
.....
.....
.....
.....जनपद पिन कोड
.....

7- मोबाइल नम्बर-..... 8- ई-मेल

अभ्यर्थी के बाये हाथ के अँगूठे का निशान	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक
---	----------------------------------

नोट-

- 1-अभ्यर्थी के पुलिस लाइन्स आगमन पर सूची में उसके नाम को केवल चिन्हित किया जायेगा।

- 2- उपस्थित रजिस्टर में उपरोक्त अंकित विवरण चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थी से भरवाया जायेगा।
- 3- उपस्थित रजिस्टर पर एक पृष्ठ पर केवल एक ही अभ्यर्थी की उपस्थिति अंकित की जायेगी।
- 4- अभ्यर्थियों से तहसील, विकास खण्ड, थाना, गांव और पिन कोड सहित डाकघर के विवरणों सहित पूर्ण डाक का पता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी।

जनपदीय चिकित्सा परिषद

(आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018)

- 1-आवेदन पत्र/पंजीकरण संख्या..... अनुक्रमंक
- 2-अभ्यर्थी का नाम..... श्रेणी
- 3- पिता का नाम.....
- जन्मतिथि..... दिनांक
- चिकित्सा परीक्षण केन्द्र का नाम.....
- चिकित्सा परिषद-प्रथम/द्वितीय(अपीलीय).....

भाग-प्रथम, शारीरिक मानक परीक्षण

ऊँचाई(से0मी) न्यूनतम मानक पुरुष अनुसूचित जन जाति-160 अन्य श्रेणी-168 महिला अनुसूचित जन जाति-147 अन्य श्रेणी-152	सीने की माप(से0मी) न्यूनतम मानक पुरुष अनुसूचित जन जाति-77 से 82 अन्य श्रेणी-79 से 84 (फुलाव-न्यूनतम 05 से0मी0)		वजन(कि0ग्रा0) (केवल महिला) न्यूनतम 40 किलोग्राम	सफल	असफल कारण सहित
	बिना फुलाये	फुलाने पर			

भाग-द्वितीय, शारीरिक मानक परीक्षण

क0 सं0	परीक्षण	परिणाम(✓) करें	
		Positive(सकारात्मक)	Negative(नकारात्मक)
1	नाँक-नी(आपस में टकराते घुटने)		
	बो-लेग्स		
	फ्लैट-फीट(समतल तलवे)		
	वैरीकोज-वेन्स(उभरी हुए नसे)		
	स्पीच डिफैबिलिटी		
	अन्य कोई शारीरिक डिफॉरमिटी(विकृति)		
2	हियरिंग(श्रवण परीक्षण)		
	(1) रिन्नीज टेस्ट		
	(2) वेबर्स टेस्ट		
	(3) वर्टिगो		

क्र० सं०	परीक्षण	परिणाम(✓) करें		
		Positive(सकारात्मक)	Negative(नकारात्मक)	
3	दृष्टि			
	(1) आंखों का भेंगापन(स्विचन्ट)			
	(2) वर्णान्धता(कलर ब्लाइण्डनेस)	बांयी आंख	दाहिनी आंख	औसत
	(3) दूर दृष्टि(बिना चश्मे के)			
	(4) निकट दृष्टि			
4	इत्यादि			
चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त (भाग द्वितीय के अनुसार कारण सहित)				
सम्पूर्ण परीक्षण में उपयुक्त/अनुपयुक्त भाग—प्रथम एवं द्वितीय के अनुसार कारण सहित				
नोट— 1— अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त ही लिखा जाय। अस्थायी उपयुक्त अथवा अस्थायी अनुपयुक्त न लिखा जाय। 2—कलर ब्लाइण्डनेस के सम्बन्ध में निर्देश पुस्तिका में उपलब्ध शासनादेश संख्या-6351-B/V-501-59 दिनांक-24.12.1959 अवश्य देख लिया जाय। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अभ्यर्थी का अंगूठा निशान बाँया..... दाहिना				

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा
परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
अध्यक्ष चिकित्सा परिषद

अभ्यर्थी का फोटो
चस्पाकिया जायेगा,
जिसे नोडल अधिकारी
द्वारा मिलान के
उपरान्त प्रमाणित
किया जायेगा।

सेवा में,

मण्डलीय चिकित्सा परिषद,

मण्डल

विषय:-जनपदीय चिकित्सा परिषद के निर्णय के विरुद्ध मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष
अपील हेतु प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

आज दिनांक-..... को जनपद-..... की चिकित्सा परिषद
द्वारा मुझे परीक्षण के मध्य निम्न कमियों के कारण अनुपयुक्त घोषित किया गया है:-

1

2

3

2- उक्त सम्बन्ध में निवेदन है कि मैं जनपदीय चिकित्सा परिषद द्वारा घोषित उक्त
परीक्षण परिणाम से संतुष्ट नहीं हूँ।

3- अतः अनुरोध है कि मेरा चिकित्सा परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद से कराये जाने
की कृपा करें। मैं निर्धारित तिथि पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत
करूंगा।

दिनांक:

भवदीय,

हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी का नाम)

पिता का नाम

अनुक्रमिक.....

आवेदन पत्र संख्या.....

मोबाइल नम्बर.....

ई-मेल.....

(चिकित्सा परीक्षा अपील की सूचना प्राप्त पत्र कार्यालय प्रयोग हेतु)

मेरे द्वारा अपने चिकित्सा परीक्षा से असन्तुष्ट होने के कारण प्रस्तुत अपील को मण्डलीय चिकित्सा परिषद से चिकित्सा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा तिथि व समय से अवगत कराया दिया गया है। मैं नियत तिथि व समय पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष चिकित्सा परीक्षा हेतु समय से उपस्थित होऊंगा।

हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी का नाम)

पिता का नाम

अनुक्रमोंक.....

आवेदन पत्र संख्या.....

मोबाइल नम्बर.....

ई-मेल.....

(मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अपील की सूचना)

(अभ्यर्थी के लिये)

आज दिनांक को अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वास्थ्य परीक्षण से असंतुष्ट होने की दशा में अपील प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अपील मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा कराये जाने की तिथि ---2018 नियत की जाती है। अभ्यर्थी मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष नियत तिथि व समय पर पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त अभिलेखों सहित प्रातः 08:00 बजे उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करायें।

नोडल अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम व पद नाम

मोबाइल नम्बर

मण्डलीय चिकित्सा परिषद

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018
में शारीरिक मानक एवं चिकित्सा परीक्षण

- 1-आवेदन पत्र/पंजीकरण संख्या..... अनुक्रमंक
- 2-अभ्यर्थी का नाम.....
- 3- पिता का नाम.....
- जन्मतिथि..... दिनांक
- चिकित्सा परीक्षण केन्द्र का नाम.....
- चिकित्सा परिषद-प्रथम/द्वितीय(अपीलीय).....

भाग-प्रथम, शारीरिक मानक परीक्षण

ऊँचाई(से0मी) न्यूनतम मानक पुरुष अनुसूचित जन जाति-160 अन्य श्रेणी-168 महिला अनुसूचित जन जाति-147 अन्य श्रेणी-152	सीने की माप(से0मी) न्यूनतम मानक पुरुष अनुसूचित जन जाति-77 से 82 अन्य श्रेणी-79 से 84 (फुलाव-न्यूनतम 05 से0मी0)	वजन(कि0ग्रा0) (केवल महिला) न्यूनतम 40 किलोग्राम	सफल	असफल कारण सहित
	बिना फुलाये	फुलाने पर		

भाग-द्वितीय, शारीरिक मानक परीक्षण

क0 सं0	परीक्षण	परिणाम(√) करें	
		Positive(साकारात्मक)	Negative(नकारात्मक)
1	नॉक-नी(आपस में टकराते घुटने)		
	बो-लेग्स		
	फ्लैट-फीट(समतल तलवे)		
	वैरीकोज-वेन्स(उभरी हुए नसे)		
	स्पीच डिएबिलिटी		
	अन्य कोई शारीरिक डिऑरमिटी(विकृति)		
2	हियरिंग(श्रवण परीक्षण)		
	(1) रिन्नीज टेस्ट		
	(2) वेबर्स टेस्ट		
	(3) वर्टिगो		

क्र० सं०	परीक्षण	परिणाम(✓) करें		
		Positive(साकारात्मक)	Negative(नकारात्मक)	
3	दृष्टि			
	(1) आंखों का भेंगापन(स्विचन्ट)			
	(2) वर्णान्धता(कलर ब्लाइण्डनेस)	बांयी आंख	दाहिनी आंख	औसत
	(3) दूर दृष्टि(बिना चश्मे के)			
	(4) निकट दृष्टि			
4	इत्यादि			
चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त (भाग द्वितीय के अनुसार कारण सहित)				
सम्पूर्ण परीक्षण में उपयुक्त/अनुपयुक्त भाग—प्रथम एवं द्वितीय के अनुसार कारण सहित				
नोट— 1— अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त ही लिखा जाय। अस्थायी उपयुक्त अथवा अस्थायी अनुपयुक्त न लिखा जाय। 2—कलर ब्लाइण्डनेस के सम्बन्ध में निर्देश पुस्तिका में उपलब्ध शासनादेश संख्या—6351—B/V—501—59 दिनांक—24.12.1959 अवश्य देख लिया जाय। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अभ्यर्थी का अंगूठा निशान बाँया..... दाहिना				

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा
परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
अध्यक्ष चिकित्सा परिषद

प्रारूप-“छ(पार्ट- I)”

चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में

(जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना)

क्र.सं.	परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या	चिकित्सा परीक्षा की दिनांक	चिकित्सा परीक्षा में			मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा हेतु अपील प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या	मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की संख्या	चिकित्सा परीक्षा पूर्ण अभ्यर्थियों की संख्या	चिकित्सा परीक्षा हेतु शेष अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
					उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या	सफल अभ्यर्थियों की संख्या	असफल अभ्यर्थियों की संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रारूप-“छ(पार्ट- II)”

मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में

(परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना)

क्र.सं.	परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या	मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा की दिनांक	मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा में			मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा पूर्ण अभ्यर्थियों की संख्या	मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा हेतु शेष अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
					उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या	सफल अभ्यर्थियों की संख्या	असफल अभ्यर्थियों की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट-चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित कार्यवाहीकी सूचना परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी द्वारा परिक्षेत्र के जनपदों से उक्त निर्धारित प्रारूप में संकलित कर प्रतिदिन Excel File अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स उ०प्र० लखनऊ को ई-मेल -logisticooffice4@gmail.com फैक्स-0522-2724030 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

परिशिष्ट-“ज”

बुलावा-पत्र

सेवा में,

अभ्यर्थी का नाम एवं पूरा पता अंकित किया जायेगा।

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि यह चयन परिणाम अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा एवं शैक्षिक योग्यता के सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन है।

2. आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-808/छ:-पु0-2-2016-1100(20)/2015 दिनांक: 16.03.2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था निम्नवत् है:-

नियम-15(6) चिकित्सा परीक्षा

- (क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम चयन सूची में हों, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।
 - (ख) नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किये जाने के लिए, तीन(3)चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभागध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोड कृत “पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र” के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।
 - (ग) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के पश्चात् किसी दिनांक को दाखिल की जाती है।
 - (घ) अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ होगा।
 - (ङ) आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में दाखिल अपील पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।
 - (च) चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिए विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जायेंगे, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।
 - (छ) चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जायेंगे और ऐसी रिक्तियाँ अगले चयन के लिए अग्रणीत की जायेगी।
3. उपर्युक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप चिकित्सा परीक्षा हेतु दिनांक को जनपद-----की पुलिस लाइन में प्रातःबजे जनपद के नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर गठित चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथ में निम्नलिखित अभिलेख अपने पास लायेंगे:-
- 1- शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अन्तिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र, जो ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र में दर्शाये गये हैं, की मूल प्रतियाँ एवं दो-दो स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
 - 2- आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जो ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र में दर्शाये गये हैं, की मूल प्रतियाँ एवं दो-दो स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
 - 3- ग्राम/मोहल्ले के सम्भ्रान्त दो व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली-भाँति जानने एवं चरित्र के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र।
 - 4- 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
 - 5- निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र।

6- फोटोयुक्त पहचान-पत्र (यथा बोटर आईडी/आधार कार्ड/पैन कार्ड/डाइविंग लाइसेन्स/पासपोर्ट में से कोई एक)

4. यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तर दायित्व आपका होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपके चयन/अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।
5. चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थी द्वारा चिकित्सा परीक्षा के दिन ही निर्धारित प्रारूप में जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष अपील, जो परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को सम्बोधित होगी, प्रस्तुत करेगा। इसके बाद अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. चिकित्सा परीक्षा हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। चिकित्सा परीक्षा हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अवांछनीय तथ्य (यथा-मेडिकल बोर्ड को प्रभावित करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का प्रयास) प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी के चयन/अभ्यर्थन को निरस्त करने के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद

संख्या:

दिनांक:.....

प्रतिलिपि-प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष..... को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे पत्र की एक प्रति अभ्यर्थी-----पुत्र श्री----- के ऊपर अंकित पते पर हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित प्राप्त कर अभिलेखार्थ भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि अभ्यर्थी अंकित पते पर उपस्थित नहीं मिलता है तो उसके परिवार के वयस्क सदस्य को उपरोक्तानुसार पत्र प्राप्त कराकर दूरभाष के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचित करा दिया जाये।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग,लखनऊ

फॉर्म:DG-IV-180(10)13-Part-2

दिनांक:लखनऊ:दिनांक 04/2015

अध्यक्ष,

उपपुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ।

विषय:- बारंबारी समन्वय पत्रों पर सीधी भर्ती-2013 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण कराने के संबंध में:-

सूचना की समीक्षा पत्र दिनांकित 14.03.2015 का संदर्भ ग्रहण करें जो वर्ष 2013 बारंबारी समन्वय पुलिस सीधी भर्ती चिकित्सा प्रपत्र के संबंध में है।

2- प्रसंगगत प्रकार से कतिपय जनपदों द्वारा वर्ष-2009 की बारंबारी भर्ती में चिकित्सीय परीक्षण में दृष्टि की सीधता हेतु निर्धारित मानक को उपलब्ध करने वाले व्यक्तियों में उत्पन्न हो रही व्यावसायिक कठिनाईयों शीघ्र दूर किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

3- कतिपय जनपदों द्वारा किये गये अनुरोध एवं शासननिरदेश संख्या:270/पौव-5-23-78 दिनांक 16.11.1978(छपा प्रति संलग्न) में निर्धारित प्रावधान को अन्तर्गत सूच्य बारंबारी सीधी भर्ती-2009 में पत्र परीक्षण के मानक को पुलिस भर्ती चिकित्सा प्रपत्र में सम्मिलित करते हुये बिना चरमों के दृष्टि की सीधता निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

1-दूर दृष्टि दोनो आँखों में-6/9 वायदा एक आँख में 6/12 हो दूसरी आँख में 6/6।

2-निकट दृष्टि दोनो आँखों में कमरा: 0.6 व 0.8।

2- अवरण व्यवहार इसे चिकित्सीय परीक्षण में सम्मिलित करते हुये अधिन आदेशक कार्यवाही करने का फल करें

(अधीन कृष्ण चैन)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

NO. 636-B/V-596

From: SACHIV
UTTAR PRADESH SHASAN

For kind attention of
to. ADG Telecom
U.P. Lucknow
From PRA. Adm.

To: SWASTHYA BIMA SANCHALAK,
UTTAR PRADESH LUCKNOW.

Dated Lucknow December 24, 1959

Subject: Revision of standard of vision in respect of services under the State Government.

Sr.

the standard of vision 70-B/V-596
1957 dated 1958, was found to be still. It was therefore, deemed necessary to review certain aspects of the earlier decision. A committee consisting of some ophthalmic experts of the State and certain Heads of Technical Departments was formed to examine the matter. After a thorough examination thereof the Committee had submitted its recommendations for modifying, in certain respects, the prescribed standard of vision for first entry in the State Services including the Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch). The Government after having given careful consideration to the Committee's suggests has in partial modification of G.O. no. 70-B/V-596-1957, dated January 8, 1958 (referred to above) been pleased to order as follows:-

A-Entry of one-eyed person in service under the State Government:-

- (i) Class I and II Services—Non one-eyed person should be appointed to Class I or Class II Services except where the appointment is to be on contract basis.
- (ii) Class III Ministerial Services—One-eyed person may be recruited to Class III Services and such other non-technical Class III Services which do not involve hazardous work provided that the sound eye has a vision of 6/6 or 6/9.
- (iii) Class IV Services—Absence of vision in one eye should not be deemed an absolute disqualification for entry in Class IV Services if the vision in the functioning eye is 6/6 or 6/9 and there is no likelihood of deterioration of vision in the functioning eye. If a Class IV Service constitutes technical personnel employed in a factory or in grinding work or on a similar job involving hazardous duties the absence of one eye should be a definite disqualification for the recruitment of such personnel.

B- Standard of colour vision for services under the State Government:-

I. Non-Technical Services:-

Colour vision should be tested and recorded for all class of non-technical services (Class I, II, III and IV) but defective colour vision should not be a disqualification for into these services.

II. Technical Services:-

(i) POLICE SERVICES

For all class of Police Services a defective colour vision, as tested on Ishihara's plates should constitute a disqualification.

(ii) --- SERVICES

Persons with defective colour vision as tested on Ishihara's plates should not be recruited to the posts of Drivers, Mechanics, and Foremen under the Transport Department. For other posts in the Transport Department colour vision should be tested and recorded but defective colour vision will not constitute a cause for rejection in their cases.

(iii) Medical Services

Candidates who can recognise gross forms of principal colours (red, green, blue and yellow) as tested by colour discs of the above colours of 1" diameter should be considered medically fit for recruitment to Medical Services.

(iv) Engineering Services of Irrigation Departments.

(1) Recognition of gross form of red, blue green and yellow colours as tested by colour discs of 1" diameter should be considered sufficient for entry into the services.

(2) For Architects in the above services finer colour differentiation being essential colour vision should be tested on in Ishihara plates and any defect shown by them should be a cause of disqualification.

C- Acuity of Vision

1. Naked eye vision (As already prescribed in G.O. no.
2. Distance and near vision (70-B/V-596-57, dated January 8, 1958;
3. Maximum permissible Subject to visual standards as already laid
- refractive error. down in G.O. no. 70-B/V -596/57, dated January 8, 1958, the amount of refractive error in respect of Class I and II Services should be as below:-

(i) All Technical Services, Correction upto +6, diptres or - 6

(Transport and Police Service. — dioptries (inclusive of cylinders.) should be permissible provided there are no degenerative changes on fundus examination and the myopia is not of the progressive type. Presence of myopia crescent by itself without any other degenerative change should not constitute a cause for rejection.

(ii) Non-Technical Service... Correction upto +8 dioptries for -8 dioptries (inclusive of cylinders) should be made permissible provided there are no degenerative changes on fundus examination and the myopia is not of the progressive type. Presence of myopia crescent by itself without any other degenerative change should and constitute a cause for rejection.

Class III and IV Services

No limit for refractive error if the visual acuity is in accordance with the standards already laid down in G.O. no. 70-B/V 596/1957, dated January 8, 1958.

Motor Drivers

(i) Naked eye Vision — As already provided in the said Government Order.

(ii) Corrected Vision — Minimum vision after correction with glasses should not be below 6/12 in any of the eyes.

(iii) Maximum permissible refractive error. Subject to the above visual standards the amount of refractive error should not exceed +6 dioptries or +6 dioptries provided there are no degenerative changes on fundus examination and the myopia is not of progressive type. Presence of myopia crescent by itself without any other degenerative changes should not constitute a cause for rejection.

(iv) Colour Vision — Drivers should be tested for colour vision on Ishihara's plates and any defect detected on this test should be a cause for rejection.

(v) Field of Vision — This should be tested in all drivers by confrontation test and suspicion of any defect should be confirmed by perimetry or Bj. screen.

(vi) Squint — Presence of manifest squint in the case of drivers should constitute a cause for rejection.

(vii) Periodical Check-U.P. The drivers should be required to have a check-up after every four years under the above headings.

D-General

Such of the candidates as do not fulfill all the standards but are yet considered likely fit cases" by the ophthalmic surgeon in the Board, should be referred to a special Medical Board comprising of three ophthalmic surgeons the senior most of whom will act as Chairman.

2. In all other respects excepting the above, the provisions of G.O. no. 70-B/V 596-1957, dated January 8, 1958 shall remain unaltered.

3. The above orders will come into force with effect from the date of their issue and all cases as have not finally been disposed of should be covered by these orders and dealt with accordingly.
4. Necessary draft correction slip to paragraph 247 of the Uttar Pradesh Medical Manual Second Edition corrected upto June, 30 1953 may be submitted to Government for approval in due course.

Yours faithfully,
K.C. JOSHI,
Up Sachiv,
For Sachiv.

No. 5351/(i)B/V-501-1959

Copy forwarded for information to-----

- (i) all Heads of Departments and the Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh.
- (ii) all departments of the Secretariat,
in continuation of G.E. No. 70(i) B/V-596-1957, dated January 6, 1958

No. 5451/(i) B/V-----501-1959

Copy also forwarded for information to-----

- (i) The Secretary, Uttar Pradesh Public Service Commission
Allahabad.
- (ii) The Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad,
In continuation of G.E. no. 70(ii) B/V-596-1957, dated
January 8, 1958,

By order,
K.C. JOSHI,
Sachiv

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन हेतु निर्देश

- 1-चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही चिकित्सा परीक्षा सम्पन्न होने के अगले दिन जनपद की पुलिस लाइन्स में सम्पन्न करायी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने मूल समस्त प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के साथ जनपद की पुलिस लाइन में उपस्थित होंगे।

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-808/छ:-पु0-2-2016-1100(20)/2015 दिनांक: 16.03.2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत चरित्र सत्यापन की व्यवस्था निम्नवत् है:-

नियम-16 चरित्र सत्यापन:-

नियुक्त पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भेजे जाने के पहले चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतयः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा, ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

- 2-अभ्यर्थीगण चरित्र सत्यापन हेतु अपने से सम्बन्धित जनपद के पुलिस कार्यालय में अपने साथ निम्नवत् अभिलेख/विवरण लेकर जायेंगे:-

(क)दस रुपये के नॉन-जुडीशियल स्टाम्प पर तैयार कराकर नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है जिसकी प्रति अभ्यर्थी को उपलब्ध करायी जाय।

(ख) आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र और सभी अन्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जिनके सम्बन्ध में उसने क्षैतिज अथवा उर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का दावा किया है, नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित करने की और उनके प्रमाणित प्रतियों प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) उस शैक्षिक संस्थान के प्रमुख/प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र तथ आचरण का प्रमाण-पत्र जहाँ से अभ्यर्थी ने अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की हो।

(घ)कम से कम 10(दस) पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ ।

- 3-जनपदीय नोडल अधिकारी अभ्यर्थी के समस्त अपेक्षित अभिलेखों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान कर प्रमाणित फोटो कापियों अभिलेखार्थ रखेंगे एवं मूल अभिलेखों को तत्काल अभ्यर्थी को वापस कर देंगे।

- 4-यदि किसी प्रमाण-पत्र की वैधता के सम्बन्ध में कोई संशय हो तो उसका सत्यापन उसको निर्गत करने वाली संस्था/अधिकारी से करा लिया जाये।

- 5-आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 के चयन परिणाम में आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों की लाजिस्टिक्स कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ से निर्गत सूची में दर्शाये गये अभ्यर्थियों के आवंटित जनपद के पुलिस कार्यालय में चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ होगी। तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी।

- 8-अभ्यर्थियों द्वारा चरित्र सत्यापन से सम्बन्धित कोई भी जानकारी/सूचना उपरोक्त सूची में दर्शाये गये उनके आवंटित जनपद के पुलिस कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा फ़ैक्स/ईमेल
लखनऊ।
कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स
पुलिस मुख्यालय(सिग्नेचर भवन)पंचम तल टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2लखनऊ-226010,
फ़ैक्स नम्बर-0522-2390470 फ़ोन-0522-2390475 ईमेल- logisticoffice4@gmail.com
संख्या:लाजि0-दस-51/2017(आरक्षी सवार पुलिस भर्ती) दिनांक:जुलाई 23, 2021
सेवा में,

1. पुलिस आयुक्त,
जनपद-लखनऊ/कानपुर नगर/वाराणसी
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद-प्रयागराज/गोरखपुर/अयोध्या/बरेली/आगरा/अलीगढ़/मेरठ

विषय: आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश।

कृपया आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों के चयन परिणाम निकट भविष्य में उपलब्ध कराये जाने की संभावना हैं, चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही के दिनोंक से यथाशीघ्र अवगत कराया जायेगा।

2- आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-808/छ:-पु0-2-2016-1100(20)/2015 दिनांक: 16.03.2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2016 में निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित है:-

नियम-16 चरित्र सत्यापन:-

नियुक्त पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भेजे जाने के पहले चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतय: चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा, ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

3. चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही चिकित्सा परीक्षा सम्पन्न होने के अगले दिन आवंटित जनपद की पुलिस लाइन्स में सम्पन्न करायी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने मूल समस्त प्रमाण - पत्रों/अभिलेखों के साथ जनपद की पुलिस लाइन में उपस्थित होंगे।

5- लाजिस्टिक्स कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत सूची में दर्शाये गये अभ्यर्थी को आवंटित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि अपने स्तर से अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आन लाइन आवेदन पत्र में अंकित स्थाई व अस्थायी पतों के जनपदों एवं अभिसूचना मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ से चरित्र सत्यापन की समस्त कार्यवाही विशेष वाहक के माध्यम से एक सप्ताह में पूरा करा ली जाय। उक्त के अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी विगत 05 वर्षों में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जहाँ प्रवास पर रहा हो वहाँ से भी चरित्र सत्यापन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय।

6- अभ्यर्थी के आवंटित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापन की समस्त कार्यवाही सम्पन्न कराने के पश्चात अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की पत्रावली जनपद में सुरक्षित रखेंगे तथा चरित्र सत्यापन की समस्त कार्यवाही में उपयुक्त पाये जाने के पश्चात् ही

नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और उस आदेश की प्रति के साथ अभ्यर्थी का सम्पूर्ण विवरण लाजिस्टिक्स कार्यालय उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- चरित्र सत्यापन की कार्यवाही निम्नोक्त प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी:-

(क) **शासनादेश संख्या-4694/II-B-321-1947दिनांक-28.04.1958** के प्रावधानों के अनुसार राज्य के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के समय चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। पुलिस विभाग में चरित्र सत्यापन के लिए **पुलिस प्रपत्र संख्या-92** पहले ही प्रचलन में है। यह प्रपत्र प्रदेश के सभी जनपद पुलिस कार्यालयों में उपलब्ध है। अतः चयनित अभ्यर्थियों से **पुलिस प्रपत्र संख्या-92** की प्रविष्टियों को दो प्रतियों में भरकर प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी। इस प्रपत्र में अभ्यर्थियों द्वारा **अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आन लाइन आवेदन पत्र** में दिये गये स्थायी निवास स्थान के साथ अस्थायी निवास स्थान (जो एक से अधिक हो सकते हैं) के अनुसार ऐसे प्रत्येक अस्थायी निवास स्थान जहाँ विगत पाँच वर्षों में अभ्यर्थी द्वारा एक वर्ष से अधिक निवास किया गया हो के लिए **पुलिस प्रपत्र संख्या-92** की एक-एक अतिरिक्त प्रति भी भरायी जायेगी और अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाये गये स्थायी तथा अस्थायी निवास स्थान के प्रत्येक जनपद से उनके चरित्र सत्यापन की कार्यवाही नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक-28.04.1958 के साथ संलग्न तृतीय प्रारूप को भरकर एवं संलग्न द्वितीय प्रारूप में दो व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण-पत्र (जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 06 माह के अन्दर निर्गत किया गया हो) को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अतः कार्य को समय से पूरा करें। उपर्युक्त शासनादेश में यह व्यवस्था दी गयी है कि नियुक्ति प्राधिकारी यह उल्लिखित कर सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्तियों से अभ्यर्थी द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय। अतः उचित होगा कि चरित्र सत्यापन के समय उसके निवास के 02 सम्भ्रान्त व्यक्तियों से अभ्यर्थी के चरित्र/चाल-चलन के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जायें। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थी से उस शैक्षिक संस्थान के प्रमुख से चरित्र एवं आचरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जहाँ से अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की हो। यदि आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त किये गये हैं तो चरित्र सत्यापन के समय इन प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ख) नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में 10/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। शपथ पत्र में दी गयी सूचना के गलत पाये जाने अथवा किसी तथ्य को छिपाये जाने पर उसके चयन/अभ्यर्थन निरस्त करते हुए विधि व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। शपथ-पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। जिसे अभ्यर्थीगणों को एक-एक प्रति उपलब्ध करायी जाय।

(ग) अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन वाले जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का दायित्व होगा कि वह आवेदन पत्र में अंकित स्थायी/अस्थायी पतों के जनपदों एवं अभिसूचना मुख्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से भेजकर एक सप्ताह में चरित्र सत्यापन पूर्ण करायें तथा उनमें विद्यमान कमियों को भी अपने स्तर से पूर्ण करायें।

(घ) चरित्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति का विवरण उपस्थिति रजिस्टर के संलग्न प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। चरित्र सत्यापन के कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक जनपद में एक **पुलिस उपाधीक्षक को नोडल अधिकारी** के रूप में नामित किया जाय जो जनपद

द्वारा निर्गत चरित्र सत्यापन तथा जो चरित्र सत्यापन अन्य जनपदों से प्राप्त हों, उन्हें भी समय से पूर्ण कराने हेतु प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही करेंगे। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि चरित्र सत्यापन के उपरान्त संकलित रूप में जनपद/अभिसूचना मुख्यालय के चरित्र सत्यापन के परिणाम के अनुसार अगली अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

- (च) नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन की कार्यवाही लाजिस्टिक्स कार्यालय की वेबसाइट पर आरक्षियों के चरित्र सत्यापन सम्बन्धी दैनिक सूचना प्रतिदिन भरवाना सुनिश्चित करेंगे।
- (छ) यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र/अभिलेख सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित करने के सम्बन्ध में नियमावली में विहित संगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (ज) यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र में अंकित तथ्य गलत पाये जायें तो भर्ती के लिए अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा और यदि भर्ती के बाद भी भविष्य में कोई गलत तथ्य पाये जाय तो अभ्यर्थी को बिना शर्त उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद की सेवा से पृथक कर दिया जायेगा तथा वैधानिक दण्ड की कार्यवाही की जायेगी। शपथ पत्र में इस आशय की सहमति प्रत्येक अभ्यर्थी से अपेक्षित होगी।
- (ज) यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं अथवा ऐसे पंजीकृत मामले विवचेना से उनके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित होकर विचाराधीन न्यायालय है या किसी अपराधिक मामले में धारा-169 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत रिहा हुए हैं या भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उद्यम व संस्थान से सेवा से विमुक्त किये गये हैं अथवा नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुए हैं छिपाया गया है, अथवा गुमराह किया गया है तो ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुपयुक्त(UNFIT) घोषित किया जायेगा और उसका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा जिस पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में मा0 सक्षम न्यायालय के निर्णय/आदेश में दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त किया जाता है तो शासनादेश संख्या 4694/II-B-321-1947 दिनांक-28.04.1958 में विहित प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रत्येक मामले को जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जिस जिले में अभियोग पंजीकृत हुआ था, उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को सन्दर्भित करेंगे और सम्बन्धित अभ्यर्थी के आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर भर्ती के लिए उपयुक्त होने अथवा उपयुक्त नहीं होने के सम्बन्ध में उनकी सुस्पष्ट संस्तुति/अभिमत प्राप्त करेंगे, जिसके अनुसार ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति के बारे में आवंटित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सुविचारित निर्णय लेंगे।

9- अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 20525/2011 अवतार सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक: 21.7.2016 को सुनवाई के उपरान्त मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, का संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया जायेगा, उक्त आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत है :-

30. We have noticed various decisions and tried to explain and reconcile them as far as possible. In view of aforesaid discussion, we summarize our conclusion thus:

30.(1) Information given to the employer by a candidate as to conviction, acquittal or arrest, or pendency of a criminal case, whether before or after entering into service must be true and there should be no suppression or false mention of required information.

- 30.(2) While passing order of termination of services or cancellation of candidature for giving false information, the employer may take notice of special circumstances of the case, if any, while giving such information.
- 30.(3) The employer shall take into consideration the Government orders/instructions/rules, applicable to the employee, at the time of taking the decision.
- 30.(4)(c) If acquittal had already been recorded in a case involving moral turpitude or offence of heinous/serious nature, on technical ground and it is not a case of clean acquittal, or benefit of reasonable doubt has been given, the employer may consider all relevant facts available as to antecedents, and may take appropriate decision as to the continuance of the employee.
- 30.(10) For determining suppression or false information attestation/verification form has to be specific, not vague. Only such information which was required to be specifically mentioned has to be disclosed. If information not asked for but is relevant comes to knowledge of the employer the same can be considered in an objective manner while addressing the question of fitness. However, in such cases action cannot be taken on basis of suppression or submitting false information as to a fact which was not even asked for.
- 10— अभ्यर्थीगण से अपेक्षित है कि वे चरित्र सत्यापन के समय अपने साथ कम से कम 10 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेकर जायेंगे।
- 11— चयनित अभ्यर्थियों की सुगमता के लिए सम्बन्धित जनपद मुख्यालय पर एक उप निरीक्षक ना0पु0 के नेतृत्व में एक सहायता केन्द्र की भी स्थापना कर दी जाय जो अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाईयों का सम्यक समाधान सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा चरित्र सत्यापन से सम्बन्धित कोई भी सूचना अथवा जानकारी उक्त सहायता केन्द्र से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
- 12— चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 07 दिवस के अन्तर्गत पूर्ण करायी जानी है। इसे समयान्तर्गत पूर्ण कराने के लिए जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का निकटतम पर्यवेक्षण नितान्त आवश्यक है।
- 13— चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित जनपद/परिक्षेत्रीय स्तर पर नोडल राजपत्रित अधिकारी नामित कर नियत समयावधि में चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराई जाय एवं नोडल अधिकारी परिक्षेत्रवार सूचना संकलित कर परिशिष्ट—“ट” में लाजिस्टिक्स कार्यालय को प्रतिदिन ई-मेल/फैक्स के माध्यम से सूचना प्रेषित करेंगे।
- 14— शासनादेश संख्या 4694/II-B-321-1947दिनांक-28.04.1958 चरित्र सत्यापन प्रपत्र भराये जाने हेतु दिशा-निर्देश उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-808(1)/छः -पु0- 2-2016-1100(20)/2015 दिनांक: 16.03.2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2016 में विहित संगत प्रावधान/व्यवस्थायें, शपथ-पत्र का प्रारूप, पुलिस मुख्यालय को सूचना भेजे जाने हेतु 26 कालम का प्रारूप, उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप, दैनिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप अनुक्रमणिका आदि संलग्न कर प्रेषित हैं।
- 15— अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की इस कार्यवाही को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाय एवं प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में चरित्र सत्यापन पूर्ण कराकर उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
- संलग्न-यथोपरि।

Spl 23.7.14
पुलिस अधीक्षक, लाजिस्टिक्स
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
- 3- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट-“ज”

शपथ पत्र का प्रारूप

श्री/श्रीमती/कुमारी.....उम्र लगभगवर्ष पुत्र/पुत्री/पति श्री
निवासी-ग्राम/मुहल्ला मकान संख्या डाकघर..... विकास खण्ड..... थाना
तहसील जिला(पिन कोड.....) का शपथ पत्र।

मैं..... उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ:-

- (1) यह कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु जिला से एक अभ्यर्थी हूँ तथा मेरा अनुक्रमोंक है।
- (2) यह कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है। और न ही कोई पुलिस विवेचना (INVESTIGATION) लम्बित है और न ही मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।
- (3) यह कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में किसी सक्षम/दाण्डिक न्यायालय द्वारा सिद्धि दोष (CONVICTION) नहीं किया गया है।
- (4) यह कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनैतिक पार्टी का कभी भी सदस्य नहीं रहा है।
- (5) यह कि मैं कभी भी किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा हूँ।
- (6) यह कि मुझे कभी भी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
- (7) यह कि कभी आपराधिक मामले में पुलिस ने चालान नहीं किया गया है।
- (8) यह कि मैं राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा से कभी भी बर्खास्त(DISSMISS) नहीं किया गया है।
- (9) यह कि आवेदन-पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात गलत पायी जाय अथवा किसी सत्य को छिपाया गया तो मुझे पुलिस आरक्षी के कोर्स में सम्मिलित नहीं होने दिया जाय/कोर्स से निकाल दिया जाये तथा विधिक दण्ड दिया जाये।
- (10) यह कि मैंने कभी भी किसी विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया है।
- (11) यह कि आपराधिक मामले में जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है या जिनमें मेरा चालान किया गया है या जो मेरे विरुद्ध विवेचनाधीन अथवा विचाराधीन अथवा दोषमुक्त किया गया है, उसका विवरण निम्नवत है:-**(आवश्यकतानुसार शीट संलग्न करें)**

(1)

(2)

(3)

- (12) यह कि मेरे द्वारा शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्र जो ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सत्य हैं
- (13) (क) यह कि मैं अविवाहित/विधुर हूँ।
(ख) यह कि मैं विवाहित हूँ तथा एक ही जीवित पत्नी है।
(ग) यह कि मैं विवाहित हूँ तथा एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं।
- (14) यह कि यदि इस शपथ-पत्र(घोषण-पत्र) में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जाये तो मुझे पुलिस आरक्षी के कोर्स/सेवा से तुरन्त पृथक कर दिया जाये एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लायी जाय।

शपथकर्ता का निशान अंगूठा

शपथकर्ता

मैं.....उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के प्रस्तर में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं। इस शपथ-पत्र के प्रस्तर में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है तथा जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि वे भी सत्य हैं। इसका अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है। तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी रक्षा करे।

अभिसाक्षी

आज दिनोंक को पूवान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता

उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप

- 1- भर्ती बोर्ड का क्रमंक.....
2- अनुक्रमंक-.....
3-अभ्यर्थी का नाम.....
4- पिता का नाम.....

अभ्यर्थी का फोटो
चस्पा किया जायेगा,
जिसे नोडल अधिकारी
द्वारा मिलान के
उपरान्त प्रमाणित
किया जायेगा।

5-स्थायी पता(गाँव/मकान नम्बर व मोहल्ला,थाना,विकास खण्ड,तहसील,जिला और
पिन कोड)

.....
.....
.....
.....

.....जनपद..... पिन कोड

6-पत्र व्यवहार का पता(गाँव/मकान नम्बर व मोहल्ला,थाना,विकास खण्ड,तहसील,जिला और
पिन कोड)

.....
.....
.....
.....

.....जनपद..... पिन कोड

7- मोबाइल नम्बर-.....

8-ई-मेल

अभ्यर्थी के बाये हाथ के अँगूठे का निशान	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक
--	----------------------------------

परिशिष्ट-“ट”

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में पुलिस आरक्षी के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की सूचना लाजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप

क्र०सं 0	जनप द	कुल अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्यर्थियों की चरित्र सत्यापन का विवरण		कितने अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन फार्म नहीं भराया गया, उनकी संख्या	अभ्युक्ति
			कितने चरित्र सत्यापन करा लिये गये हैं, की संख्या	चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु शेष हैं, की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7

नोट- चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में सम्पादित कार्यवाही की सूचना परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी द्वारा परिक्षेत्र के जनपदों से उक्त निर्धारित प्रारूप में संकलित कर प्रतिदिन Excel File में लाजिस्टिक्स कार्यालय के फैक्स-0522-2724030 ई- मेल -logisticoffice4@gmail.com में भेजी जायेगी।

परिशिष्ट-“ठ”

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन का विवरण

क्र.सं.	श्रेष्ठता का क्रम	अनुक्रमिक	नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	मोबाइल नंबर	ई.मेल पता	स्थायी पता	स्थायी पते के जनपद को चरित्र सत्यापन मेजने का दिनांक	चरित्र सत्यापन के उपरांत वापसी का दिनांक	पत्र व्यवहार का पता	अस्थायी पता जहाँ अभ्यर्थी विगत पाँच वर्षों में एक वर्ष से अधिक अवधि तक रहा हो	अस्थायी पते वाले जनपद का चरित्र सत्यापन मेजने का दिनांक	चरित्र सत्यापन के बाद वापसी का दिनांक	अभिसूचना मुख्यालय से चरित्र सत्यापन के दिनांक	अभिसूचना मुख्यालय को चरित्र सत्यापन मेजने का दिनांक	प्रतिकूल तथ्य वाले अभ्यर्थी की पुलिस सेवा हेतु उपयुक्तता या अनुपयुक्तता सम्बन्धी संस्तुति / अभिमत हेतु	जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त संस्तुति तथा अभिमत के SSP द्वारा	निगुक्ति हेतु आवंटित जनपद का नाम	निगुक्ति आदेश पारित करने का दिनांक	अभ्यर्थी द्वारा जवाइन करने का दिनांक	HOB संख्या व दिनांक	पीएनअ नम्बर	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 क 13 ख	14	15	16	17	18	19 क 19 ख	20 क 20 ख	21	22	23	24	25	26
								ग्राम पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जिला पिन कोड			ग्राम पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जिला पिन कोड	(1) ग्राम पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जिला पिन कोड						SSP द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित पत्रांक व दिनांक	जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त पत्रांक व दिनांक	SSP द्वारा सत्यापन के दिनांक	जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त संस्तुति तथा अभिमत के दिनांक				
								ग्राम पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जिला पिन कोड				(2) ग्राम पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जिला पिन कोड													

सभी अभ्यर्थियों की अलग-अलग पत्रावलियाँ होनी चाहिए तथा पत्रावली के ऊपर निम्नलिखित शीर्षक अंकित किया जाय।

1- भर्ती बोर्ड से प्राप्त होकर लाजिस्टिक्स कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची का मुख्य क्रमोंक.....

2-अभ्यर्थी का नाम.....

3- पिता का नाम.....

4- गृह जनपद.....

5- उपर्युक्त है अथवा अनुपयुक्त.....

6- यदि अनुपयुक्त है तो किस स्तर पर और उसका संक्षिप्त विवरण अंकित किया जाय:-

.....
.....
.....
.....

7- नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद.....

पत्रावली के अन्दर निम्नवत क्रम में अभिलेखों का रख जाना अपेक्षित है:-

(पृष्ठों की संख्या.....)

1- अभ्यर्थी का ओ.एम.आर. आवेदन पत्र.....

2- स्थायी पते पर किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट.....

3- अस्थायी पते पर किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट.....

(1)

(2)

(3)

4- अभिसूचना विभाग की चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट.....

(कुल पृष्ठों की संख्या.....)

सामान्य निर्देश

- अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा हेतु जनपद में गठित चिकित्सा परिषद के सदस्यों तथा मण्डल स्तर पर गठित कराये जाने वाली मण्डलीय चिकित्सा परिषद के सदस्यों का विवरण लाजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- जनपदीय नोडल अधिकारी लाजिस्टिक्स कार्यालय से समन्वय बनाये रखेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि शासन की नीति एवं संगत सेवा नियमावली के अनुरूप ही मण्डल मुख्यालय के जनपद में परीक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही सकुशल सम्पन्न की जा रही है। इसके लिए लाजिस्टिक्स कार्यालय के अतिरिक्त वह मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी पुलिस अधिकारियों का भी निकट समन्वय बनाये रखेंगे।

जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में नामित पुलिस उपाधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक जनपद के पर्यवेक्षक अधिकारी होंगे। पर्यवेक्षक अधिकारी के दायित्व निम्नवत होंगे:-

- पर्यवेक्षक अधिकारी चिकित्सा परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व चिकित्सा परिषद के सभी सदस्यों एवं जनपद के नोडल अधिकारियों के साथ चिकित्सा परीक्षा सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में गोष्ठी कर लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सा परीक्षा सम्बन्धी सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गयी हैं।
- वह अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि जनपद में अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा हेतु चिकित्सा परिषद का गठन हो चुका है।
- चिकित्सा परीक्षा हेतु निर्धारित किये गये परीक्षण केन्द्र का जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा तीन दिन पूर्व भ्रमण कर सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षण स्थल पर सभी व्यवस्थाएँ पूर्ण हो गयी हैं। चिकित्सा परीक्षा की सम्पूर्ण कार्यवाही के सुगम संचालन हेतु परीक्षण केन्द्र पर निम्नानुसार आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध कराये जाने का उत्तरदायित्व भी पर्यवेक्षक अधिकारी का ही होगा :-

(क) **स्थान:-**परीक्षण हेतु उचित स्थान/कक्ष जहाँ चिकित्सा परीक्षा तथा मण्डल मुख्यालय के जनपद में जहाँ मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा आयोजित करायी जानी है, पूर्व से निर्धारित कर लिये जायें तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था कर ली जाय।

(ख) **फर्नीचर व टेन्ट:-**केन्द्र पर अधिकारियों, सहयोगी स्टाफ व अभ्यर्थियों के बैठने हेतु फर्नीचर व टेन्ट आदि की समुचित व्यवस्था।

(ग) पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर, स्टेशनरी की व्यवस्था की जाये।

(घ) **शान्ति व्यवस्था हेतु परीक्षा केन्द्र पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति (ड्यूटी):-**परीक्षण स्थल के मुख्य द्वार पर अनधिकृत प्रवेश को रोकने हेतु पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में अभ्यर्थी एवं वहाँ नियुक्त/ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवेश न करने पाये। परीक्षण स्थल पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी परीक्षण स्थल इसके अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षा में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों अथवा उनके सहयोगियों द्वारा शान्ति भंग करने अथवा उपद्रव करने की स्थिति को

नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाय। चिकित्सा परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की पत्रावली चरित्र सत्यापन हेतु नामित सदस्यों के समक्ष अगले दिन प्रस्तुत करने तथा चिकित्सा परीक्षा में अनुपयुक्त अभ्यर्थियों में से जिनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद से अपना चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु आवेदन किया जाय, उनकी पत्रावलियां सूची सहित मण्डलीय चिकित्सा परिषद को समय से उपलब्ध कराये जाने हेतु जिम्मेदार व विश्वसनीय कर्मियों की नियुक्ति की जाये।

(ड.) **विद्युत आपूर्ति:**—परीक्षण स्थल पर सतत विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था एवं सहवर्ती उपकरण की व्यवस्था पूर्ण करा ली जाय।

(च) **अभ्यर्थियों एवं कर्मियों के उपयोगार्थ व्यवस्था :**—परीक्षण स्थल पर अभ्यर्थियों एवं स्टाफ के उपयोग हेतु स्वच्छ पीने का पानी, बैठने के लिए अपने संशोधनों से उपयुक्त स्थान, कुर्सी, मेज व प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था पूरी कर ली जाये।

(छ) **कार्ययोजना :**—अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा के प्रत्येक बिन्दु पर पहुंचने के लिए समुचित प्रबन्ध व कार्य की निरन्तरता की योजना बना ली जाय।

- केवल उन्ही अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा स्थल में प्रवेश दिया जायेगा, जिनके पास उस दिन की परीक्षा हेतु निर्गत वैध बुलावा पत्र उपलब्ध होगा।
- नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सा परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दिन चिकित्सा परिषद व मण्डलीय चिकित्सा परिषद के सभी सदस्य समय से उपस्थित हो रहे हैं तथा परीक्षा की कार्यवाही समय से आरम्भ हो रही है।
- अभिलेखों के सुरक्षित एवं व्यवस्थित रख-रखाव हेतु उचित होगा कि प्रतिदिन चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त व अनुपयुक्त हुए अभ्यर्थियों की पत्रावलियां अलग-अलग कराकर उसी दिन तिथिवार जनपद में सुरक्षित रखवा दी जाये, किन्तु चिकित्सा परीक्षा में अनुपयुक्त हुए अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद से अपना चिकित्सा परीक्षा कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में उसी दिन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उनकी पत्रावलियां अलग-अलग निकलवा कर अभ्यर्थियों की सूची सहित नियत तिथि को समय से मण्डलीय चिकित्सा परिषद को उपलब्ध करा दी जाये। मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा सम्पन्न किये जाने के उपरान्त उसी दिन सभी पत्रावलियां मण्डलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त कर तथा प्रतिदिन चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त व अनुपयुक्त हुए समस्त अभ्यर्थियों की अलग-अलग पत्रावलिियां चिकित्सा परिषद व मण्डलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त कर मण्डल मुख्यालय के जनपद पर तिथिवार सुरक्षित रखवाई जाय।
- आधारभूत संरचना सम्बन्धी एवं अन्य छुद्र आवश्यकताओं से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय जनपद के भार से किया जायेगा, इसके लिए अलग से कोई धनराशि की माँग न की जाय।

- जनपद में नामित नोडल अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक अधिकारी के निर्देशन में उपरोक्त समस्त कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही जनपदीय चिकित्सा परिषद एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद से समन्वय बनाये रखते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया को निर्धारित तरीके से निर्वाध सम्पन्न कराया जाना भी उनका दायित्व होगा। अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा, एवं चरित्र सत्यापन की सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात चिकित्सा परीक्षा, एवं चरित्र सत्यापन से संबंधित समस्त अभिलेख/रजिस्टर इत्यादि मूलरूप में जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जनपद में जमा कराया जायेगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/अभिलेखों के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित करने व ऐसी रिक्तियों को अगले चयन के लिये अग्रणीत करने की व्यवस्था नियमावली में प्राविधानित है। अतः समस्त परिक्षेत्र में चरित्र सत्यापन/अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या-808/छ:-पु०-2-2016-1100(20)/2015 दिनांक: 16.03.2016 द्वारा प्रख्यापित **उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2016** के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी के दायित्व

चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में जनपदीय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में समस्त कार्यों का सम्पादन करायेगें।

चरित्र सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के दायित्व:-

1- चिकित्सा परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन फार्म भरवाने हेतु चिकित्सा परीक्षा के अगले दिन जनपद के पुलिस लाईन में प्रातः 08.00 बजे बुलाया जायेगा। अतः भर्ती केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को अभ्यर्थियों हेतु नियत समय से दो घण्टा पूर्व प्रातः 06.00 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

2- चरित्र सत्यापन फार्म जनपदीय स्तर पर गठित समिति द्वारा भरवाया जायेगा। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा के अगले दिन चरित्र सत्यापन फार्म भरवाने हेतु निर्धारित केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे किसी अन्य तिथि को उपस्थित होने पर चरित्र सत्यापन फार्म भरवाने की कार्यवाही में उसे सम्मिलित न किया जाय। यदि ऐसे किसी अनुपस्थित अभ्यर्थी द्वारा नियत तिथि के पश्चात अपने निर्धारित केन्द्र पर नोडल अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नियत तिथि को अनुपस्थित होने का कारण अंकित करते हुए किसी अन्य तिथि को चरित्र सत्यापन फार्म भरने का अनुरोध करता है और इस हेतु प्रार्थना पत्र के साथ पर्याप्त साक्ष्य भी प्रस्तुत करता है तो नोडल अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के अनुपस्थित होने के कारणों की परिस्थितियों व उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर विचारोपरान्त ऐसे अनुपस्थित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी की सहमति से अगली तिथि नियत कर सकते हैं।

3- चरित्र सत्यापन हेतु जनपदीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र व अभिलेखों में भिन्नता अथवा संदिग्धता की स्थिति में चरित्र सत्यापन फार्म भरवा लिया जाय, परन्तु चरित्र सत्यापन की कार्यवाही तब तक न करायी जाय जब तक कि अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन संबंधित संस्थान से पुष्टि न हो जाये। संबंधित संस्थान से अभिलेखों की पुष्टि होने के पश्चात ही अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही करायी जाय। यदि संबंधित संस्थान से अभ्यर्थी के अभिलेखों की पुष्टि न होने अथवा भिन्नता पाये जाने पर नोडल अधिकारी सर्वप्रथम अभ्यर्थियों के चेहरे का मिलान आवेदन पत्र में लगे फोटो से करेंगे। अभ्यर्थी का चेहरा आवेदन पत्र में उपलब्ध फोटो से सही मिलने पर लाजिस्टिक्स कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये उपस्थित पत्रक पर अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख संबंधित कालम में प्रदान किये गये फॉरेन्सिक (इंकलेस) पैड की सहायता से अभ्यर्थी का अंगुष्ठ छाप लेंगे। एक पृष्ठ पर 10 अभ्यर्थियों का उपस्थिति पत्रक होगा, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर दल के सदस्यों/नामित नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। अभ्यर्थी के चेहरे का आवेदन पत्र में उपलब्ध उसके फोटो से मिलान होने पर ही उपस्थित पत्रक पर अभ्यर्थी का अंगुष्ठ छाप प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी। यदि अभ्यर्थी का चेहरा आवेदन पत्र में उपलब्ध फोटो से भिन्न पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को या तो केन्द्र से तत्काल वापस भेज दिया जाये अथवा उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाय। उपस्थिति पत्रक का प्रारूप संलग्न है।

उपस्थिति पत्रक का प्रारूप

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति पत्रक, जिसमें 01 से 10 तक ही अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी, जिसका प्रारूप निम्नवत है :-

[illegible]

अध्याय-2

चरित्र सत्यापन एवं रोल

(Character Verification and Roll)

राज्य सेवा के किसी भी वर्ग में संयुक्त कर्मचारी/अधिकारी का चरित्र उसके अपने एवं राजकीय सेवा क्षेत्र दोनों में बड़ा महत्वपूर्ण होता है इसलिए राजकीय सेवा में लिए जाने के पूर्व ही उसके चरित्र व पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिए जाने की आवश्यकता है। सरकारी सेवक का सेवाकाल में चरित्र व व्यवहार सैन्य होगा यह बहुत कुछ उसके सेवा में आने के पूर्व व्यतीत जीवन पर निर्भर करता है और यदि उसका चरित्र एवं पूर्ववृत्त संतोषजनक पाया गया है तो सामान्य जो आत्मविश्वास होती है कि वह सेवाकाल में भी उत्तरोत्तर चरित्रवान, योग्य एवं कुशल का श्री गणेश है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आख्या ही उसके चरित्र व रोल का श्री गणेश है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सम्बन्धी आवश्यक शासनपत्रों इन अध्याय में दिये जा रहे हैं।

1. चरित्र सत्यापन

1

G. O. 4694-II-B-321-1947, dated April 23, 1958

विषय : प्रथम नियुक्ति के समय चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया।

Subject : Verification of Character at first appointment.

"I am directed to refer to Appointment (B) Department secret G. O. No. 2712/II-B-321-1947 dated November 9, 1953 in which detailed instructions were issued regarding the method of verifications of character and antecedents of candidates for appointment under the State Government. These instructions were later on revised in this Department secret G. O. No. 4637/II-B-321-47, dated December 4, 1957. It has been noticed that difficulty is being experienced by some appointing authorities in correctly interpreting the instructions issued in the Government Order dated December 4, 1957. It has also been found that these instructions are not fully comprehensive to cover all the cases. The Governor has therefore been pleased to lay down the following instructions in supersession of all the previous orders on the subject.

2. The rule regarding character of candidates for appointment under the State Government shall continue to be as follows :

"The character of candidate for direct appointment must be such as to render him suitable in all respects for employment in the service or post to which he is to be appointed. It would be the duty of the appointing authority to satisfy itself on the point."

3. (a) Every direct recruit to any service under the Uttar Pradesh Government will be required to produce:

(i) A certificate of conduct and character from the head of the educational institution where he last studied (if he went to such an institution).

(ii) Certificates of character from two persons. The appointing authority will lay down requirements as to kind of persons from whom it desires these certificates.

(b) In cases of doubt, the appointing authority may either ask for further references, or may refer the case to the District Magistrate concerned. The District Magistrate may then make further enquiries as he considers necessary.

Note—(a) A conviction need not of itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve on moral turpitude or association with crimes of violence or with a movement which has its object to overthrow by violent means of Government as by law now established in free India the mere conviction need not be regarded as disqualification.¹ (Conviction of a person during his childhood should not necessarily operate as a bar to his entering Government service. The entire circumstances in which his conviction was recorded as well as the circumstances in which he is now placed should be taken into consideration. If he has completely reformed himself on attaining the age of understanding and discretion, mere conviction in childhood should not operate as a bar to his entering Government service).

(b) While no person should be considered unfit for appointment solely because of his political opinions, care should be taken not to employ persons who are likely to be disloyal and to abuse the confidence placed in them by virtue of their appointment. Ordinarily, persons who are actively engaged in subversive activities including members of any organization the avowed object of which is to change the existing order of society by violent means should be considered unfit for appointment under Government. Participation in such activities at any time after attaining the age of 21 years and within three years of the date of enquiry should be considered as evidence that the person is still actively engaged in such activities unless in the interval there is positive evidence of change of attitude.

(c) Persons dismissed by the Central Government or by a State Government will also be deemed to be unfit for appointment to any service under this Government.

(d) In the case of direct recruits to the State Services under the Uttar Pradesh Government includes requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3 (a) above. The appointing authority shall refer all cases simultaneously to Deputy Inspector General of Police, Intelligence and the District Magistrate² (of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry) giving full particulars about the candidate. The District Magistrate shall get the reports in respect of the candidates from the Superintendent of Police who will consult District Police Records and records of the Local Intelligence Unit. The District Police or the District Intelligence Unit shall not make any enquiries on the spot, but shall report from their records whether there is anything

1 Added vide G. O. No. O—2219/U.B-211-1960, dated December 25, 1965.

2 Substituted vide G. O. No. 1780/U.B-121-1947, dated June 11, 1953.

against the candidate, but if in any specific case the District Magistrate at the instance of the appointing authority ask for an enquiry on the spot the Local Police or the Local Intelligence Units will do so and report the result to him. The District Magistrate shall then reports his own views to the appointing authority. Where the District Police or the Local Intelligence Units report adversely about a candidate the District Magistrate may give the candidate a hearing before sending his report.

(c) In the case of direct recruits (who are lower in rank than that of a State Service Officer) of:

- (i) the police (including ministerial staff of Police Officers),
- (ii) the Secretariat,
- (iii) the staff employed in the government factories,
- (iv) power houses and dams,

besides requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3 (a) above, the appointing authorities shall refer all cases simultaneously to the Deputy Inspector General, C.I.D. and the District Superintendent of Police ²of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five year of the date of the inquiry] giving full particulars about the candidate. The Superintendents of Police will send his report direct to the appointing authority if there is nothing adverse against the candidate. In cases where the report is unfavourable the Superintendent of Police will forward it to the District Magistrate who will send for the candidate concerned, give him a hearing and then, form his own opinion. All the necessary papers (the Superintendent of Police's report the candidate's statement and the District Magistrate's finding) will there after be sent to the appointing authority.

4. It will be seen that in cases of direct recruit to services other than those mentioned in paragraphs 3 (c) and 3 (d) above; verification shall not be necessary as a matter of routine except in cases of doubt when the procedure mentioned in paragraph 3 (b) shall be followed.

5. In the case of a candidate for services mentioned in paragraphs 3 (c) and 3 (d) above—

- (i) if at the time of enquiry the candidate is residing in a locality situated outside Uttar Pradesh or if he has resided in such a locality at any time within five years of the date of enquiry for a period of one year or more it shall be the duty of the deputy Inspector General, C. I. D. to consult also the C. I. D. D. of the State concerned in which the locality is situated before making his verification report.
- (ii) if the candidate was residing before partition in area now comprising Pakistan the Deputy Inspector General, C. I. D. shall also make a reference to the Director of Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, in addition to the usual enquires as indicated above.

1. Added vide G. O. No. 4951/H-B-212-1962, dated January 16, 1963.

5. It has also been observed that where the District Magistrates are required to send the attestation forms they sometimes do not sign the forms themselves. Government consider it very desirable that the attestation forms should invariably be signed by the District Magistrates themselves in all such cases.

7. Other State Governments and Administrations are being informed separately that the verification of character and antecedents of recruits to their services from this State will henceforth be done according to the procedure adopted in the cases of recruits to different categories of services under the State Government.

8. In order to prevent a candidate, who has been disqualified for Government Employment from securing employment in a sub-ordinate or inferior service other than those mentioned in paragraph 3 (d), every person recruited to these services should be required at the time of joining his appointment to fill up the form appended as Annexure I to this letter. If he is found to have made a false statement in this connection, he should be discharged forthwith, without prejudice to any other action that may be considered necessary.

9. All questions arising from these orders shall be referred to Government in the appointment (B) Department for decision.

10. A form each of (i) particulars about the candidate (ii) character certificate and (iii) statement of candidate to be used by the recruiting officer is annexed to the letter.

अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा
10 विन्दुओं की अग्रसारित की जाने वाली आख्या का निर्धारित प्रारूप

क्र०सं०	अभिलेखों का विवरण	यथा स्थिति
1	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/प्रार्थना पत्र नम्बर/अनुक्रमक/स्थायी पता आदि का मिलान उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी चयन सूची से मिलान करने पर चयनित (SELECT) पाया गया।	हाँ नहीं
2	चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (यथा चिकित्सा परिषद अथवा मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड) में फिट घोषित।	हाँ नहीं
3	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में की गयी घोषणाओं में कोई प्रतिकूल तथ्य के सम्बन्ध में।	हाँ नहीं
4	स्थानीय थाना/अभिसूचना इकाई (एलआईयू) से प्राप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी प्रतिकूल तथ्य के सम्बन्ध में।	हाँ नहीं
5	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी प्रतिकूल तथ्य के सम्बन्ध में।	हाँ नहीं
6	अभ्यर्थी के घोषणा पत्र में की गयी घोषणा एवं चरित्र सत्यापन आख्या में विरोधाभासी तथ्य नहीं पाये गये।	हाँ नहीं
7	अभ्यर्थी द्वारा यदि आरक्षण आदि का या अन्य किसी विशेष कोटे का लाभ लिया गया हो, तो तत्सम्बन्धी अभिलेख उपयुक्त पाये गये।	हाँ नहीं
8	अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रों (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अंक पत्र) की सत्यापन आख्या (जो सम्बन्धित शिक्षा बोर्ड से प्राप्त हुई है) में सभी तथ्य सही पाये गये।	हाँ नहीं
9	वर्तमान निवास के स्थान से चरित्र सत्यापन हो गये।	हाँ नहीं
10	अभ्यर्थी के पत्रावली पर गृह जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित अनापत्ति प्रमाण-पत्र है।	हाँ नहीं

नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पत्रावली पर उपरोक्त विवरण रखा जाय तथा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाये।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर
व मुहर सहित नाम व पद नाम

परिशिष्ट-“ढ”

अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार की जाने वाली चेक लिस्ट

क्र०सं०	अभिलेखों का विवरण	यथा स्थिति
1	आवेदन पत्र की प्रति, अनुक्रमोंक, चयनित।	☐ हाँ ☐ नहीं
2	उपयुक्त होने सम्बन्धी चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (यथा चिकित्सा परिषद अथवा मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड) मूलरूप में।	☐ हाँ ☐ नहीं
3	शपथ पत्र मूलरूप में।	☐ हाँ ☐ नहीं
4	शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रों (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र) की प्रमाणित प्रति।	☐ हाँ ☐ नहीं
5	यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण सम्बन्धी कोई लाभ लिया गया है तो उसके सम्बन्ध प्रस्तुत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ।	☐ हाँ ☐ नहीं
6	चरित्र सत्यापन सम्बन्धी रिपोर्ट(स्थायी पता/पत्र व्यवहार पता से सम्बन्धित थानों से/स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ) मूलरूप में।	☐ हाँ ☐ नहीं
7	अभ्यर्थी द्वारा यदि आरक्षण या अन्य किसी विशेष कोटे का लाभ लिया गया हो तो तत्सम्बन्धी अभिलेख उपयुक्त पाये गये।	☐ हाँ ☐ नहीं
8	अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रों(हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र) की सम्बन्धित शिक्षा बोर्ड से वेरिफिकेशन आख्या प्राप्त।	☐ हाँ ☐ नहीं
9	वर्तमान निवास के स्थान से चरित्र सत्यापन हो गये हैं।	☐ हाँ ☐ नहीं
10	अभ्यर्थी के सन्दर्भ में यदि कोई जॉच/अभियोग/प्रतिकूल तथ्य जो प्रकाश में आये हैं, किसी सरकारी विभाग को सन्दर्भित किया गया है तो इसका विवरण।	☐ हाँ ☐ नहीं

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद—

प्रारूप-“ण”

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों हेतु
हेल्प डेस्क(सहायता केन्द्र) की व्यवस्था के सम्बन्ध में

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु बाहर से आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की सुविधा व जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर “हेल्प डेस्क(सहायता केन्द्र)” का गठन किया जायेगा, जिसमें आवश्यक संख्या में निम्नलिखित स्तर के अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे :-

1- निरीक्षक/उपनिरीक्षक

3-आरक्षी

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर नियुक्ति का प्रारूप
आदेश

उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-808/छ:-पु0-2-2016-1100(20)/2015 दिनांक: 16.03.2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2016 के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अध्याचित रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2018 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी अनुक्रमोंक पुत्र श्री..... निवासी-ग्राम..... पोस्ट-..... थाना-..... तहसील-..... जनपद-..... (पिन कोड नं0.....) को आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु पुलिस अधीक्षक, लाजिस्टिक्स उत्तर प्रदेश के पत्रांक..... दिनांक..... द्वारा जनपद-..... आवंटित किया गया है।

2- अतः अभ्यर्थी अनुक्रमोंक..... पुत्र श्री निवासी-ग्राम..... पोस्ट-..... थाना-..... तहसील-..... जनपद-..... (पिन कोड नं0.....) को उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2016 के अधीन रिक्त आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर अस्थाई रूप से जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें प्रति माह नियमानुसार अनुमन्य पे-बैंड रूपया 5200-20200/- ग्रेड-पे-2000/- में मूलवेतन रूपया प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई होगी, जो कभी भी समाप्त की जा सकती है।

3- प्रतिसार निरीक्षक उक्त अभ्यर्थी को पूर्ण किट प्रदान कर जनपद में ही प्रारम्भिक प्रशिक्षण (जे0टी0सी0) कराना सुनिश्चित करें।

(नियुक्तकर्ता अधिकारी का नाम)
वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
जनपद.....

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद.....
संख्या-..... दिनांक.....

प्रतिलिपि-प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने तथा उक्त रिक्त आरक्षी घुड़सवार पुलिस को भर्ती एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी कार्य समय से पूर्ण कराने जे0टी0सी0 कराने तथा किट प्रदान करने हेतु।

2- ऑफिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- अभ्यर्थी अनुक्रमोंक..... पुत्र श्री..... निवासी-ग्राम..... पोस्ट-..... थाना-..... तहसील-..... जनपद-..... (पिन कोड नं0.....) को इस निर्देश के साथ कि इस नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 01 माह के भीतर मेस एडवान्स, जाड़े-गर्मी के कपड़े एवं बिस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन..... जनपद..... में सेवा/प्रशिक्षण के लिए आगमन करना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर आपके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

आपके निवास स्थान से पुलिस लाइन जनपद..... आने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(नियुक्तकर्ता अधिकारी का नाम)
वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
जनपद.....

संख्या तथा दिनोंक वही

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, उ0प्र0 पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक जोन.....।
- 3- पुलिसमहानिरीक्षक परिक्षेत्र।
- 4- पुलिस अधीक्षक लाजिस्टिक्स, उत्तर प्रदेश को उनके पत्रोंक..... दिनोंक.....के सन्दर्भ में।